fgekpy in'k vkokl ,oe 'kgjh fodkl ikf/kdj.k e[;ky; fuxe fcgkj] f'keyk&171002 dh vof/k 04@2009 ls 03@2010 rd dh y[kk e ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvk dk lkj %&

Øe l[;k	vfu;ferrkvk dk fooj.k	ijk l[;k
1	₹15.40 लाख की राषि ग्राऊंड रैन्ट के रूप में आबंटियों से वसूली हेतु शेष।	4
2	₹28.13 करोड की राषि निक्षेप निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राषि से अधिक व्यय करना।	5
3	₹10.98 लाख अग्रिम यात्रा भत्ता अवकाष यात्रा रियायत स्टाफ अग्रिमों का कई वर्षों से समायोजन न करना।	6
4	₹4.66 लाख की वसूली मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से न करना।	6(क)
5	₹4.11 लाख के विभिन्न अग्रिमों की वसूली न करना।	6(ग)
6	₹28.13 करोड बिना ब्याज विभिन्न विभागों की वित्तीय सुविधा प्रदान करने से करोड़ों रुपये के ब्याज की हानि होना।	7
7	₹5.69 करोड़ ऋण की राषि के अभिलेख तैयार न करना।	8
8	₹9.50 करोड़ की राषि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	9
9	₹45.64 करोड़ की सम्पति के विक्रय हेतु ठोस प्रयास न करना।	10
10	₹11.94 करोड़ की (Assets-in-Hand) व तैयार अभिलेख में अन्तर पाया जाना।	11
11	₹16.41 लाख की राषि को इन्ट्रस्ट पेएबल लेखों को अनुचित रूप से हस्तांतरित करना।	12
12	₹4.14 लाख की राषि को बिना तथ्यों के ऋण राषि में समायोजित करना।	13
13	₹4.94 करोड़ कास्ट ऑफ सेल रिसीवेबल राषि के अभिलेख तैयार न करना।	14
14	₹6.75 लाख के व्यय को विभिन्न कलोनियों में अनियमित प्रकार से लेखाबद्ध करना।	15
15	₹0.33 लाख ब्याज की राषि को कम लेखांकित करना।	16
16	₹2.92 लाख सावधि लेखों के ब्याज की राषि कम प्राप्त करना।	17
17	₹4.42 लाख ब्याज की प्राप्ति को अनियमित प्रकार से समायोजित करना।	20
18	₹0.77 लाख की राषि को स्टॉक लेखों में अनावष्यक रूप से बढ़ाकर स्टॉक स्टोरेज लेखों में आय दर्षाना।	23

19	अंशदायी भविष्य निधि खातों में समय पर अंषदान न करने से ₹0.93 लाख ब्याज की हानि।	28
20	₹5.13 लाख की राषि को अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही में न दर्षाना।	31(ख)
21	₹17.29 करोड़ की राषि एक दो बैंकों के स्थान पर विभिन्न बैंकों में जमा करना।	32
22	₹99.89 लाख की राषि को अनियमित रूप से अनकलासीफाईड खातों में दर्षाना।	33
23	₹72.10 लाख की राषि धरोहर/इन्सटालमैंट के रूप में 31.03.10 को वूसली हेतु शेष।	34
24	₹3.69 लाख की राषि को आबंटियों के खाते में क्रैडिट न करना।	36
25	₹70.16 लाख की राषि को लागत लेखों में अनुचित रूप से बढ़ौतरी करना।	38
26	₹4.62 लाख की राषि के अग्रिम के विवरण प्रस्तुत न करना।	47

fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k ds e[;ky; fuxe fcgkj f'keyk&171002 ds vof/k 4@2009 ls 3@10 ds ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

Hkkx& ,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही एवं सटिप्पण उत्तरों की पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत/अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है। आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को परामर्ष दिया जाता है कि अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु अविलम्ब वांछित कार्यवाही की जानी सुनिष्चित करें ताकि अनिर्णीत पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके :—

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@85 ls 3@86

1	पैरा 13	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@90 ls 3@91

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@92 ls 3@93

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ङ)	अनिर्णीत

¼?k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@96 ls 3@97

1	पैरा 10	अनिर्णीत

¼³½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@97 ls 3@98

1	पैरा 22(क)	समाप्त (मूल अभिलेख में पहले ही निर्णीत है)
2	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 27	अनिर्णीत
4	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 29(3)	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@98 ls 3@99

1	पैरा 9	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@99 ls 3@2000

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 29 (2)	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@2000 ls 3@2001

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	समाप्त (पत्र संख्याः हिमुडा–5–362 / 99, दिनांक 17.05.07 द्वारा निर्धारित वेतनमान व उचित वसूली उपरान्त)
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 21	अनिर्णीत
9	पैरा 26	अनिर्णीत
10	पैरा 27	अनिर्णीत
11	पैरा 32	अनिर्णीत
12	पैरा 61	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@2001 ls 2@2002

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 27	अनिर्णीत
7	पैरा 31	अनिर्णीत

8	पैरा 47	अनिर्णीत
9	पैरा 48	अनिर्णीत
10	पैरा 50	अनिर्णीत
11	पैरा 51	अनिर्णीत
12	पैरा 52	अनिर्णीत
13	पैरा 53	अनिर्णीत

¼¥½ vid{k.k ifronu vof/k 4@2002 ls 3@2003

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 35 (क से छ)	अनिर्णीत

¼V½ vid{k.k ifronu vof/k 4@2003 ls 3@2004

1	पैरा 13	अनिर्णीत

¼B½ vid{k.k ifronu vof/k 4@2004 ls 3@2005

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 30(क,ख,ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 35	अनिर्णीत

¼M½ vk{k.k ifronu vof/k 4@2005 ls 3@2006

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 23(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 23(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 25	अनिर्णीत
10	पैरा 31	अनिर्णीत
11	पैरा 32	अनिर्णीत

¼<½ vk{k.k ifronu vof/k 4@2006 ls 3@2007

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 20	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत
6	पैरा 26	अनिर्णीत
7	पैरा 27	अनिर्णीत
8	पैरा 31	अनिर्णीत

¼.k½ vk{k.k ifronu vof/k 4@2007 ls 3@2008

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत

6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत
16	पैरा 32	समाप्त (सटिप्पण उत्तर व कार्यवाही उपरान्त)
17	पैरा 33	समाप्त (सटिप्पण उत्तर व आवष्यक कार्यवाही उपरान्त)

¼r½ vd{k.k ifrosnu vof/k 4@2008 ls 3@2009

1	पैरा 3	समाप्त	(चैक संख्याः 254360, दिनांक 27.08.2010 द्वारा ₹2,96,200/– जमा किए गए)
2	पैरा 4	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
3	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
4	पैरा 6	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
5	पैरा 7	समाप्त	(₹50050/–की राषि के अधिक ब्याज की वसूली खाताधारकों से कर ली गई)
6	पैरा 8	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
7	पैरा 9(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
8	पैरा 9(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	समाप्त	(पत्र संख्याः हिमुडा–श्रेणी–1 प्लाट नं0 39 खनियारा/प्रषासन दिनांक 08.03.11 द्वारा सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
11	पैरा 12	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
12	पैरा 13	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
13	पैरा 14	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)

14	पैरा 15	समाप्त	(सहायक आयकर आयुक्त षिमला के असैसमैंट आदेषानुसार)
15	पैरा 16	समाप्त	(वी0ओ0डी0की0 बैठक दिनांक 13.09.2001 की मद संख्याः 135(14)के निर्णय अनुसार)
16	पैरा 18(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 18(ङ)	अनिर्णीत	
21	पैरा 18(च)	अनिर्णीत	
22	पैरा 18(छ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 18(ज)	अनिर्णीत	
24	पैरा 19	अनिर्णीत	
25	पैरा 20	अनिर्णीत	
26	पैरा 21	समाप्त	(संटिप्ण उत्तर के आधार पर)
27	पैरा 22	अनिर्णीत	
28	पैरा 23	अनिर्णीत	
29	पैरा 24	समाप्त	(संटिप्ण उत्तर व आवष्यक कार्यवाही उपरान्त)
30	पैरा 25	समाप्त	(संटिप्ण उत्तर व आवष्यक कार्यवाही उपरान्त)
31	पैरा 26	अनिर्णीत	
32	पैरा 27	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
33	पैरा 28	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

iiol f’keyk fodkl izkf/kdj.k ds eq[;ky; ls lEcfU/kr iSjs%&

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@89 ls 3@90

1 पैरा 27 अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@90 ls 3@91

1 पैरा 63 अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@91 ls 3@92

1	पैरा 5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (न)	अनिर्णीत

3	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ifronu vof/k 4@92 l 3@93

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 28	अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ifronu vof/k 4@93 l 3@94

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 30 (ए से सी)	अनिर्णीत

¼p½ vd{k.k ifronu vof/k 4@94 l 3@95

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

¼N½ vd{k.k ifronu vof/k 4@95 l 3@96

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पेरा 12(5,6,9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(5 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(डी व ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(ए)	अनिर्णीत

¼t½ vd{k.k ifronu vof/k 4@96 l 3@97

1	पैरा 4(11)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(फ)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 26(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@97 ls 3@98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ग),(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग,ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(ग)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर)	अनिर्णीत

¼¥½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@98 ls 3@99

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15 को छोडकर)	समाप्त (पहले ही वसूली कर ली गई है।)
7	पैरा 24 (ग)	अनिर्णीत

¼V½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@99 ls 15-01-2001

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,त,थ,द,ध)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2,3,4)	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2 **orZeku vads{k.k %&**

अवधि 4/2009 से 3/2010 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य श्री कौल सिंह संयुक्त निदेषक, के पर्यवेक्षण में सर्व श्री शेर सिंह कायथ, सहायक नियन्त्रक, सुरेश गुप्ता, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारियों व श्री रविन्दर सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.12.10 से 20.03.11 तक प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार षिमला–2 में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु मास 3/10 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफ से समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरण के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना न उपलब्ध करवाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।

3 **ys[kk ijh{kk 'kqYd %&**

अवधि 4/2009 से 3/2010 तक के आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के अंकेक्षण का लेखा परीक्षा शुल्क ₹3,41,700/– आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला–9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, षिमला–2 को अधियाचना संख्याः 1030, दिनांक 08.04.2011 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **₹15-40@& yk[k dh jkf'k xzkÅaM jsUV ds :i esa vkcafV;ksa ls olwyh gsrq 'ks"kA**

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्षियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से आबंटन की शर्तों के अनुसार ग्राऊंड रेन्ट की राशियां प्रतिवर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.3.10 तक ₹15,40,257/– की राशि ग्राऊंड रेन्ट के रूप में वसूल की जानी शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट 'क' में संलग्न है। इस वसूली योग्य राशि को प्राधिकरण के वार्षिक तुलन पत्र में नहीं दर्षाया गया जिस का औचित्य प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में ग्रांऊंड रेन्ट की नियमित रूप से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए। ग्राऊंड रेन्ट की बकाया वसूली योग्य राशियों का योजनावार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Øa0la0	cLrh dk uke	fnukad 31-3-09 dks olwyh gsrq cdk;k jkf'k ¼#i;s esa½
1	सामाजिक आवास बस्ती, कसुम्पटी	1,99,940.00

2	दूसरी सामाजिक आवास बस्ती बी0सी0एस	86,330.00
3	तीसरी पी0एस0एफ0एस बी0सी0एस0 फेज–1	12,664.00
4	चौथी पी0एस0एफ0एस बी0सी0एस0 फेज–1	45,795.00
5	पांचवी पी0एस0एफ0एस बी0सी0एस0 फेज–2	2,12,711.00
6	छठी पी0एस0एफ0एस बी0सी0एस0 फेज–2	
7	सातवीं पी0एस0एफ0एस बी0सी0एस0 फेज–2	13878
8	एस0एफ0एस कमर्षियल कुल्लु	931.00
9	प्रथम एस0एफ0एस धर्मषाला	23,961.00
10	आठवीं एस0एफ0एस बी0सी0एस0 षिमला	42,230.00
11	प्रथम एस0एफ0एस कमर्षियल कसुम्पटी	88,489.00
12	द्वितीय एस0एफ0एस कमर्षियल कसुम्पटी	73,354.00
13	नवीं पी0एस0एफ0एस बी0सी0एस0 फेज–3	7,39,974.00
		₹15]40]257-00

5 fu{ki fuek.k dk;k ¼fMikftV oDl½ d vUrxr fnukd 31-3-10 dk ikIr jkf'k l vf/kd 0;; dh xb ₹28-13@& djkM dh olyh u djuk %&

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.3.10 को ₹28,13,34,689.21 की राशि निम्न विवरणानुसार विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से निक्षेप निर्माण कार्यों (डिपोजिट वर्क्स) के अन्तर्गत वसूली हेतु शेष थी इन राशियों में से बहुत सी राशियां तो गत कई वर्षों से वसूली योग्य लम्बित थी। लम्बित राशियों की वसूली हेतु कोई प्रभावषाली पग नहीं उठाए गए। सी0पी0डब्लयु0डी0 मैनुअल के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सृजन से पूर्व वसूल की जानी वांछित थी किन्तु बिना प्राधिकरण/बोर्ड की विशिष्ट स्वीकृति के इतनी बड़ी राशि का दायित्व प्राधिकरण पर डालना नियमों का पालन न करना व अनेक वर्षों तक वसूली न करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इस स्थिति में जहां एक ओर बहुत से निर्माण कार्य समय से पूर्व पूर्ण हो चुके हैं वहीं दूसरी ओर आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अपने दैनिक उपयोग हेतु ऊंची दरों पर ऋणों का आश्रय ले रहा हो, व इस अनावष्यक बोझ को अन्ततोगत्वा आबंटियों पर डाल रहा है, अपने आप मे एक अत्यन्त गम्भीर प्रकरण हैं जिस की उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारीयों का दायित्व निर्धारित करने के साथ–साथ इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु सार्थक व ठोस पग उठाए जाएं । ₹28,13,34,689.21/–की राशि का बिना प्राधिकरण के विशिष्ट स्वीकृति के व्यय करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति पर पूर्ण रोक लगाई जा सके।

Ø0l0	fuek.k dk;Z dk uke	fnukd 31-3-10 dk o lyh gr cdk;k jkf'k ¼#i;k e½
1	एग्रो इन्डस्ट्रीयल निगम, जाछ	1,00,695.49
2	बस स्टैंड हमीरपुर	1,78,501.91
3	20 न0 डेमोंस्ट्रेषन हाऊस बैजनाथ	1,56,394.90
4	तहसील कार्यालय भवन इन्दौरा	58,232,99
5	बचत भवन चम्बा	32,945.30
6	किसान भवन चम्बा	3,24,948.83
7	डी0आर0डी0ए0 भवन चम्बा	40,222.87
8	कांगड़ा सेन्ट्रल बैंक भवन धर्मषाला	67,053.23
9	डाईट कम्पलैक्स सरोल चम्बा	7,81,125.61
10	टूरिस्ट सुचना केन्द्र धर्मषाला	2,38,471.93
11	ट्रैकिंग छात्रावास धर्मषाला	7,90,514.99
12	टूरिस्ट रिज़ोर्ट पौंगडैम	10,18,941.96
13	बस स्टैंड नगरोटा बगवां	10,47,005.32
14	पुलिस सुरक्षा कार्य तीसा	5,19,729.00
15	इण्डोर स्टेडियम धर्मषाला	56,04,810.76
16	आऊटडोर सटेडियम डुलैहड ऊना	22,03,689.00
17	स्ट्रीट लाईट धर्मषाला	2,877.00
18	स्टाफ क्वाटर वानिकी धर्मषाला	6,31,276.00
19	अडीषन/आलट्रेषन सी0एच0सी0 सिहुता व समोट	3,06,862.00
20	सी0एच0सी0 कार्य खेड़ा	13,46,272.00
21	जिला सम्पर्क कार्यालय चम्बा	13,79,179.00
22	सी0एच0सी0 कार्य किहार चम्बा	5,32,590.00
23	आर0सी0एच0 ज्वालामुखी	3,76,257.00
24	सिविल अस्पताल रेहान	31,801.00
25	लिबिल नाईट्रोजन प्लांट पराल चम्बा	21,224.00
26	शैड सरोल चम्बा	5,76,726.00
27	तकनीकी षिक्षा बोर्ड धर्मषाला	9,32,602.00
28	अपंग बाल सदन धर्मषाला	73,57,540.00
29	बाउंडरी वाला सांई छात्रावास धर्मषाला	2,46,755.00
30	22 न0 फिश फंड सुल्तानपुर	40,09,012.00

31	जिला परिषद भवन चम्बा	25,58,811.00
32	लॉ विष्वविद्यालय धर्मषाला	99,73,861.00
33	एस0सी0 / एस0टी0 छात्रावास नूरपुर	16,94,546.00
34	एस0सी0 / एस0टी0 छात्रावास देहरी	51,092.00
35	आडीषन / अल्ट्रेषन 6 नं0 बनीखेत	12,24,974.00
36	फाऊंडेषन हाई स्कूल दुबल	44,512.00
37	रा0व0मा0पा0 डेल	18,412.00
38	बस स्टैण्ड चम्बा	98,678.00
39	डी0ई0ओ0 कार्यालय धर्मषाला	3,98,921.00
40	पार्किंग टुरिजम चम्बा	26,04,565.00
41	बाऊंड्री बॉल एनीमल हस्बैन्डरी ऊना	10,797.00
42	आडीषन / अल्ट्रेषन सिटी स्केन चम्बा	5,66,055.00
43	एस0सी0 / एस0टी0 कार्य इन्दौरा	6,74,186.00
44	एस0सी0 / एस0टी0 कार्य नगरोटा बगवां	39,18,308.00
45	रा0व0मा0पा0 बरनाडा	3,72,806.00
46	शैड 5 न0 कांगड़ा	3,45,189.00
47	शैड 5 न0 ऊना	13,87,049.00
48	गो सदन होल्टा	99,553.00
49	गो सदन बनौर	1,00,486.00
50	गो सदन डनखाजियन	65,07,434.00
51	30 न0 काग लेम्व ब्रीड चम्बा	1,19,862.00
52	स्टाफ क्वार्टर डाडा सीबा	2,329.00
53	फ्लोरिंग पौंग डैम	6,431.00
54	पोलीटेकनीकल चम्बा	1,00,08,354.00
55	द्वितीय इण्डियन रिर्जव बटालियन स्कोह	1,98,33,436.00
56	त0 कल्याण बैजनाथ	1,55,538.00
57	जिलाधीष कार्यालय चम्बा	737.00
58	बस स्टैण्ड धर्मषाला	74,969.00
59	डवेलिंग यूनिट	29,231.00
60	मिलक प्रोसैसिंग प्लांट ऊना	1,81,281.00
61	एस0सी0 / एस0टी बैजनाथ	13,551.00
62	रा0व0मा0पा0 खन्यारा	4,58,962.00
63	रा0व0मा0पा0 सलयाना	1,18,349.00

64	बस स्टैण्ड ऊना	3,203.00
65	रिपेयर पॉलटैकनिक कांगड़ा	1,15,025.00
66	हिप्पा फेयर लॉन	7,84,073.75
67	सी0पी0आर0आई बैमलोई	49,965.19
68	बचत भवन षिमला	2,00,258.18
69	मार्केटिंग कम्पलैक्स ढल्ली	1,40,067.27
70	सैन्ट्रल जेल कण्डा	35,49,054.58
71	रिटेनिंग वॉल सन्जौली	8,213.00
72	रैड क्रास भवन षिमला	1,88,750.21
73	टुरिज़्म छात्रावास मषोबरा	1,19,215.74
74	पालिका भवन षिमला	45,50,853.42
75	डाईट काम्पलैक्स रिकांगपीओ	15,65,722.10
76	आई0डी0एस0एम0टी0 रामपुर	19,04,321.00
77	बोर्डर एरिया डव्लपमैंट, रिकांगपीओ	89,786.00
78	स्टाफ क्वार्टर उद्यान विभाग, रिकांगपीओ	3,39,601.00
79	षूटिंग रेंज समरहिल	29,483.00
80	स्टाफ क्वाटर वानिकी विभाग रिकांगपियो	3,93,247.00
81	पुलिस पोस्ट सायरी	15,71,090.00
82	आई0डी0एस0एम0टी0 नारकण्डा	16,170.00
83	रा0उ0पा0 दलाष	1,72,559.00
84	भवन निर्माण कुमारसैन	1,45,257.00
85	सी0एच0एस0 भवन निर्माण निरमण्ड	2,65,212.00
86	सी0एच0सी0 सायरी	53,175.00
87	केल्स्टन षिमला	3,196.82
88	एस0एच0सी0 जाखू	3,196.82
89	रेनुवेषन आफ होटल पब्बर	7,702.00
90	मिल्क चिलिंग प्लांट रोहडू	7,37,286.00
91	शीप ब्रिडिंग फार्म जयूरी	99,994.00
92	एस0सी0 / एस0टी0 छात्रावास सीमा रोहडू	26,77,958.00
93	एस0सी0 / एस0टी0 छात्रावास सरस्वती नगर	23,34,907.00
94	5 न0 ए–1 शैड किन्नौर	58,836.00
95	मशरूम युनिट दत्त नगर	59,78,110.00
96	ए–1 शैड रतनाडी टिक्कर	4,14,770.00

97	ए–1 शैड मोहरी देहा	1,37,901.00
98	पंचायत निरिक्षक आवास निरमंड	4,22,754.00
99	एस0सी0एस0टी0 ठियोग छात्रावास	34,691.00
100	7 नं0 ए0–1 शैड ननखरी	3,31,262.00
101	ए0–1 शैड–न्यूगलसेरी	13,587.00
102	ए0–2 शैड चागो	17,903.00
103	ए0–1 शैड मजगांव	9,274.00
104	ए0–1 शैड रूपी	4,959.00
105	ए0–1 शैड कटगांव	17,903.00
106	ए0–1 शैड पिरन	1,33,454.00
107	ए0–1 शैड माऊरी देहा	2,03,196.00
108	ए0–1 शैड धामी	9,043.00
109	आयुर्वेदिक केन्द्र न्यू षिमला	2,378.00
110	पार्किंग लेबर होस्टल	4,01,374.00
111	कार पार्किंग सिसल होटल	17,11,534.00
112	300 मी0 सिविल गौदाम	1,540.00
113	कार्यालय भवन रिपेयर	15,297.00
114	आर0सी0एच0 रिपन अस्पताल षिमला	68,015.00
115	रिपेयर कार्यालय भवन	21,495.00
116	आडीयन/अल्ट्रेषन कोर्ट भवन	20,29,003.00
117	पार्किंग जिलाधीष कार्यालय सोलन	95,474.00
118	न्यू जेल नाहन	13,00,079.00
119	रिपेयर बेटनेरी डिस्पेन्सरी	123.00
120	रेन वाटर हारवेसटिंग सिस्टम	1,08,138.00
121	एनीमल हस्बैन्डरी हॉस्टल पावंटा	1,96,800.00
122	एस0सी0/एस0टी0 छात्रावास संगराह	1,06,31,777.00
123	एस0सी0/एस0टी0 छात्रावास राजगढ़	28,88,038.00
124	एस0सी0/एस0टी0 छात्रावास अर्की	17,07,585.00
125	एस0सी0/एस0टी0 छात्रावास नाहन	15,631.00
126	ए–1 शैड बुगैहर सोलन	75,576.00
127	ए–1 शैड नैहली सराहन	1,39,499.00
128	ए–1 शैड त्रिलोकपुर	1,22,429.00
129	ए–1 शैड राजपुरा	1,01,793.00

130	ए–1 शैड चादना	50,841.00
131	ए–1 शैड नारग सिरमौर	1,20,736.00
132	ए–1 शैड गम्बर पुल सोलन	1,03,848.00
133	ए–1 शैड घाघर सोलन	1,432.00
134	आऊट डोर स्टेडियम नाहन	1,63,577.40
135	बाऊंडरी वॉल पावंटा साहिब	80,006.00
136	शीप पेन शैड चम्बा	2,13,133.00
137	कोठीपुरा स्टोर	83,886.00
138	पुलिस क्वाटर	1,428.00
139	इन्स्पैक्टर आवास द्रंग	318.00
140	मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट दोपिहारा	706.00
141	बिलासपुर स्टोर	66,190.00
142	नाईट्रोजन प्लाट खलयार मण्डी	707.00
143	एनीमल ब्रीडिंग खलयार मण्डी	707.00
144	उप निदेषक कार्यालय षिक्षा बिलासपुर	82,167.00
145	2 नं0 पंचायत क्वाटर नादौन	3,194.00
146	2 नं0 पंचायत क्वाटर बिझडी	746.00
147	2 नं0 पंचायत क्वाटर बंजार	477.00
148	2 नं0 पंचायत क्वाटर गोपालपुर	477.00
149	3 नं0 कक्षा कमरे मयाबार बिलासपुर	488.00
150	निदेशक उच्च षिक्षा	3,18,022.00
151	कांगड़ा सेंट्रल बैंक ऊना	1,68,850.74
152	टूरिस्ट होटल मनाली	17,92,290.33
153	डाईट कम्पलैक्स जुखाला	25,76,765.60
154	फिकसिंग गेट शटर हमीरपुर	2,13,901.56
155	बस स्टैंड करसोग	87,787.54
156	आबकारी कराधान भवन हमीरपुर	16,630.46
157	राजकीय औषधालय ऊना	24,199.02
158	भीमा काली मन्दिर ब्यूली मण्डी	2,19,070.00
159	डाईट काम्पलैक्स कैलांग	10,75,681.47
160	स्टेयर कार्य मण्डी	35,592.67
161	आई0टी0आई0 भोरंज	53,846.21
162	आई0डी0एस0एम0टी0 सुन्दरनगर	1,163.80

163	आऊट डोर स्टेडियम लुहाना बिलासपुर	78,77,241.99
164	ड्रग टेस्टिंग लैब जोगिन्द्रनगर	1,45,900.22
165	स्पोर्टस होस्टल बिलासपुर	16,96,398.94
166	स्पोर्टस कम्पलैक्स मनाली	48,81,953.02
167	पुलिस कन्ट्रोल रूम मण्डी	2,13,156.66
168	आऊट डोर स्टेडियम जोगिन्द्रनगर	2,94,219.17
169	फिष फार्म जोगिन्द्रनगर	41,08,689.80
170	फिष फार्म अलसु	28,65,313.07
171	मिनी स्टेडियम कोठीपुरा बिलासपुर	3,19,463.04
172	एस0टी0 छात्रावास गोहर	28,00,193.16
173	आऊट डोर स्टेडियम नयनादेवी	336.60
174	गो सदन बिलासपुर	75,074.50
175	सी0एच0सी0 धर्मषाला	2,51,012.65
176	एस0सी0 / एस0टी0 द्रंग	2,27,395.17
177	स्काऊट एण्ड गाईड केन्द्र रिवालसर	5,669.00
178	फिश रेसिंग नरसरी दयोली	53,62,725.90
179	कार्यालय बिलासपुर फिषरी विभाग	7,844.00
180	वाटर भण्डारण बरोट	29,96,987.88
181	फिष फार्म नागनी	35,88,798.00
182	हमीरपुर वायर फिकसिंग	52,929.97
183	फिषरी विभाग कार्यालय मण्डी	2,99,042.00
184	फाईन आर्ट गैलरी कुल्लू	6,949.00
185	एस0सी0 / एस0टी0 छात्रावास घुमारवीं	29,65,209.00
186	रा0व0मा0पा0 कोठीपुरा	62,257.00
187	एस0सी0 / एस0टी0 छात्रावास हमीरपुर	9,43,037.00
188	मण्डी टाऊन यू0आई0एस0एस0एस0	1,71,06,538.00
189	मिल्क चिलिंग सैन्टर करसोग	5,24,967.00
190	बस स्टैंड बजौरा कुल्लू	8,448.82
191	हमीरपुर जेल	42,86,816.06
192	कन्या छात्रावास ओ0बी0सी0 मण्डी	1,08,62,914.00
193	बैटनरी हस्पताल दयोठ बिलासपुर	2,15,458.00
194	रिजर्व बटालियन	2,67,497.00
195	बैटनरी हस्पताल कटौला मण्डी	25,72,325.00

196	ए0–1 शैड हमीरपुर	4,87,099.00
197	गौ सदन लेहड़ी	74,764.00
198	ए0–1 शैड बड़सर	51,620.00
199	ए0–1 शैड पट्टा	51,424.00
200	जै0 एन0एन0आर0एम0 हमीरपुर	11,87,866.00
201	पंचायत भवन मनाली	8,40,569.00
202	4 नं0 टी0–2 क्वाटर घुमारवीं	1,35,731.00
203	रैस्ट हाऊस भवन	84,224.00
204	पी0एस0सी0 भोटा	4,395.00
205	पी0एच0सी0 बिझड़ी	15,761.00
206	ए0–1 शैड गोहर	4,76,156.00
207	ए0–1 शैड पतलीकूहल	59,135.00
208	ए0–1 शैड भंगरोटू	3,64,644.00
209	आई0टी0आई0 पपलोग	1,117.00
210	कला केन्द्र ढालपुर	5,265.00
211	2 नं0 निरिक्षक भवन पतलीकूहल	9,30,368.00
212	2 नं0 निरिक्षक भवन सरकाघाट	5,83,902.00
213	2 नं0 निरिक्षक भवन मलटोहार	22,553.00
214	2 नं0 निरिक्षक भवन गौहर	43,430.00
215	रा0व0मा0पा0 कोटबर्ड	9,82,762.00
216	ए0–1 शैड बिलासपुर	11,47,311.00
217	बस स्टैण्ड मण्डी	1,07,08,601.00
218	बस स्टैण्ड धर्मपुर	50,53,832.00
219	बस स्टैण्ड सरकाघाट	43,416.00
220	बस स्टैण्ड हमीरपुर	95,821.00
221	7 नं0 ए0–1 शैड चौतडा	2,05,465.00
222	पयूरोलेटर छात्रावास परवाणू	1,54,230.20
223	2 नं0 गौदाम हिमप्रोसैस परवाणू	77,906.86
224	एच0आर0टी0सी0 परवाणू	19,387.58
225	डिपोजिट वर्क दतयार परवाणू	1,73,248.74
226	बस स्टैण्ड सोलन	11,42,868.06
227	डाईट कम्पलैक्स नाहन	62,403.69
228	टी0वी0 केन्द्र धर्मपुर	10,51,309.46

229	आई0डी0एस0एम0टी0 नाहन	5,74,681.68
230	सैन्ट्रल यूनिट चम्बाघाट	14,976.17
231	डाईट कम्पलैक्स सोलन	1,86,992.85
232	पॉलुषन कन्ट्रोल बोर्ड, परवाणू	29,36,708.28
233	आर0सी0एच0 धर्मपुर	10,10,831.59
234	डिपोजिट वर्क एनीमल हस्बैन्ड्री	5,62,140.00
	हि0प्र0 पुलिस विभाग	68,68,387.30
	नवोदय विद्यालय	93,79,963.10
		28]13]34]689-21

6 ₹10-98 yk[k dh jkf'k dk ;k=k HkÙkk] vodk'k fj;k;r ;k=k fpfdRlk 0;;] LVkQ vfxze o fofo/k vfxzeksa dk dbZ o"kksZ ls olwyh@lek;kstu u djukA

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अग्रिमों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां विभिन्न अग्रिमों के रूप में गत कई वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में यह राशियां कब से व किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित थी। अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। इन अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ ₹10,98,085.13 के विभिन्न अग्रिम भुगतानों का सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्ड–ब्याज सहित वसूली करके समायोजन किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

[kkrk cgh i"V	vfxze dk fooj.k	fnukad 31-3-10 dks vfxze dh cdk;k jkf'k olwyh@lek;kstu gsrq 'ks"k
542	यात्रा भत्ता अग्रिम	1,40,314.15
575	अवकाश रियायत यात्रा अग्रिम	17,030.50
532	स्टाफ अग्रिम	18,389.46
571	चिकित्सा व्यय अग्रिम	16,660.57
468	स्कूटर अग्रिम (नगर विकास प्राधिकरण)	28,250.00
562	विविध अग्रिम (मुदरण एवं लेखन विभाग)	4,66,294.94
189	विविध अग्रिम (अन्य फर्मे व विभाग)	4,11,145.51
		₹10]98]085-13

¼d½ अंकेक्षण के दौरान स्वीकृत की गई अग्रिम राषियों के समायोजन वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेष के पास वर्ष 2003–04 से निम्नलिखित राषियां समायोजन हेतु शेष पड़ी थी :–

[kkrk cgh i"B	foÙkh; o"kZ	vfxze Hkqxrku dh xbZ jkf'k ¼₹½	o"kZ esa lek;kstu fd;k x;k	o"kZ dk vUr esa cdk;k jkf'k ¼₹½
485	2003–04	166342.94	101740.00	64602.94
491	2004–05	185593.00	206307.00	43888.94
404	2005–06	200000.00	181218.00	62670.94
121	2006–07	250000.00	239020.00	73650.94
472	2007–08	375000.00	314135.00	134515.94
437	2008–09	350000.00	139788.00	344727.94
562	2009–10	300000.00	178433.00	466294.94

अतः मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेष के पास दिनांक 31.03.10 तक ₹4,66,294.94 की राषि समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी इस राषि की वसूली/समायोजन हेतु हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने कोई ठोस पग नहीं उठाए हैं फलस्वरूप वसूली/समायोजन हेतु बकाया राषि कई वर्षों से लम्बित है। ₹4,66,294.94 की राषि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त राषि की सम्बन्धित विभाग से दण्ड ब्याज सहित वसूली सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ वाऊचर संख्या 3837, दिनांक 18.03.10 द्वारा ₹48,481/–की राषि उप नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेष को स्टेषनरी क्रय हेतु भुगतान की गई। उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभाग के पास दिनांक 31.03.10 तक भुगतान की गई अन्तिम राषि में से ₹4,66,294.94 बकाया पड़े थे, इस राषि में से ₹64,602.94 वर्ष 2003–04 से समायोजन हेतु लम्बित थे। जब उपरोक्त विभाग के पास दिनांक 31.03.10 तक ₹4,66,294.94 की राषि समायोजन हेतु शेष पड़ी थी तो स्टेषनरी क्रय हेतु ₹48,481/–का भुगतान न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः ₹48,481/– की राषि स्टेषनरी क्रय हेतु भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ विविध अग्रिमों की बकाया राषि की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियां वर्ष 2002–03 से वसूली/समायोजन हेतु शेष पड़ी थी :–

[kkrk cgh i"B	o"kZ	o"kZ dk vUr esa lek;kstu gsrq 'ks"k

		jkf'k
450	2002—03	3,44,032.51
441	2003—04	3,25,956.51
440	2004—05	3,57,747.51
387	2005—06	4,11,145.51
206	2006—07	4,11,145.51
234	2007—08	4,11,145.51
152	2008—09	4,11,145.51
189	2009—10	4,11,145.51

इस प्रकार ₹4,11,145.51 की राषि कई वर्षों से वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त राषि की सम्बन्धित विभाग, फर्म इत्यादि से दण्ड ब्याज सहित वसूली सुनिष्चित की जाए।

7 **₹28-13 djkM dh foÙkh; lfo/kk fofHkUu foHkkxk@miØek dk fcuk C;kt d vfu;fer@vufpr idkj l inku dju d dkj.k fgeMk dk djkMk #i;k d C;kt dh gkfu %&**

हिमुडा के वार्षिक लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा डिपोजिट वर्क के आधार पर विभिन्न विभागों/निगमों के निर्माण कार्यों का निष्पादन अग्रिम राषियों की प्राप्ति के बिना किया जा रहा है जबकि नियमानुसार अग्रिम राषियों के प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाना आपेक्षित था लेकिन हिमुडा द्वारा इसके विपरीत विभिन्न विभागों/निगमों के निक्षेप कार्य पर निम्न विवरणानुसार 31.03.10 तक ₹28,13,34,689.21 का व्यय बिना अग्रिम राषि की प्राप्ती के स्वय संसाधनों से कर दिया गया। हिमुडा विभिन्न कलोनियों के निर्माण कार्य के लिए 10% से 14% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण प्राप्त करता है। तथा ऋण पर देय ब्याज की राषियां उन कलोनियों के आबंटियों से वसूल करता है। जबकि हिमुडा द्वारा निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राषि से अधिक व्यय की गई राषि पर ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। अतः निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राषि से अधिक राषि के व्यय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा हिमुडा को हुई ब्याज की हानि की गणना करने के उपरान्त राषि की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारणोपरान्त करना सुनिष्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व वर्षों के लेखों की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि यह स्थिति वर्षानुवर्ष बढ़ती ही जा रही है यद्यपि अंकेक्षण द्वारा गत वर्षों में अनेक बार प्रत्येक वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह गम्भीर अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके समाधान हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए बिना ब्याज के अनावष्यक वित्त सुविधा प्रदान करने के कारण हिमुडा को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों के ब्याज

की हानि हो रही है। हिमुडा द्वारा एक तरफ आबंटियों से ब्याज व समय पर किस्तों का भुगतान न होने पर दण्ड ब्याज ऊंची दर से प्राप्त करना और स्वयं लिए जा रहे ऋणों पर करोड़ों रुपयों का भुगतान ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष करना सरकारी विभागों/उपक्रमों का निर्माण कार्य बिना ब्याज के कर दिया जाना अपने आप में ही हास्यस्पद व आबंटियों के साथ अन्याय है। विभिन्न विभागों/उपक्रमों से ली जाने वाली राषि का वर्ष वार विवरण निम्न वर्णित है। उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु विषेष रूप से लाया जाता है।

fooj.k	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09	2009&10
विभिन्न विभाग/उपक्रम	8,57,19,819.00	8,78,83,962.98	9,36,17,475.32	16,47,88,177.75	26,50,86,338.75
पुलिस विभाग	1,19,93,204.30	1,20,15,625.30	1,21,69,162.30	67,24,787.30	68,68,387.30
नवोदय विद्यालय	92,58,288.16	92,64,122.16	92,68,486.16	93,79,963.16	93,79,963.16
;kx	10]69]71]311-46	10]91]63]710-44	11]50]55]123-78	18]08]92]928-21	28]13]34]689-21

8 lkof/k tek [kkrk d fo:) ikIr _.k dh jkf'k ₹569-91 yk[k l lEcfU/kr vfHkys[k r;kj u djuk %&

हिमुडा के वार्षिक लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि तुलन पत्र के शडयूल 'बी' के अन्तर्गत ₹56,99,100.00 की राषि लेखा शीर्ष लोन अगेंस्ट एफ0डी0आर0 के अन्तर्गत दर्षाई गई परन्तु उक्त ऋण की राषि के समर्थन में कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में कोई भी स्थिति जैसे कि, किस एफ0डी0आर0 के विरूद्ध लोन लिया गया, कितना लोन लिया गया, ब्याज के भुगतान की क्या स्थिति है, किस दर पर ब्याज दिया जा रहा है इत्यादि स्पष्ट नहीं होती इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखों के साथ उपरोक्त ऋण से सम्बन्धित कोई भी शडयूल संलग्न नहीं पाया गया जिसके अभाव में उचित जाँच की जानी सम्भव नहीं हो पाई। लिए गए लोन के समर्थन में कोई भी अभिलेख तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह मामला उचित जाँच व आवष्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

9 ₹9]505-24 yk[k dh jkf'k l lEcfU/kr vfHkys[k vd{k.k e iLrr u djuk rFkk mDr jkf'k d lek;ktu d grq dkbl Hkh i;kl u djuk %&

हिमुडा के वार्षिक लेखों अवधि 2009–10 की जाँच करने पर पाया गया की खाता बही में लेखा शीर्ष (Work in prograss per percentage completion methed) के अन्तर्गत ₹95,05,23,940.14 की राषि दर्षाई जा रही हैं यह राषि वर्ष 2003–04 से 31.03.10 तक हिमुडा द्वारा प्रत्येक वर्ष के वर्क इन प्रोग्रैस में से प्रतिषतता के आधार पर लाभ हानि खाते में आय/लाभ के रूप में दर्षाकर इतनी ही राषि उपरोक्त वर्णित लेखे को वास्तविक समायोजन

किए जाने तक लेखाबद्ध की जा रही है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2003—04 से वर्तमान तक पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की फाईनल कोस्टिंग नहीं की गई थी। अरबों रुपये बिना समायोजन के ही लेखों में वर्क इन प्रोग्रैस में अनावष्यक रूप से शेष पड़े हुए है। हिमुडा द्वारा अनुमान के आधार पर दर्षाई गई प्राप्ति/आय के अनुसार आयकर विभाग को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा रहा है। परन्तु वास्तविक लाभ निकालकर आवष्यक समायोजन किए जाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों का भुगतान अनुमानित आय पर करना पड़ रहा है। यह भी सम्भावित है कि अनुमानित प्रतिषतता के आधार पर आंका गया लाभ वास्तव में कम व हानि के रूप में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर का भुगतान भी प्रभावित हो सकता है। अतः वर्ष 2009—10 तक जिन कलौनियों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन कलौनियों की अन्तिम लागत निर्धारणों परान्त वास्तविक लाभ/हानि की गणना हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिष्चित की जाए।

10 ₹4]564-20 yk[k eY; d lykV] ¶yV] edku bR;kfn fnukd 31-03-10 rd foØ; gr| %&

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 61/2011 व 62/2011, दिनांक 03.01.2011 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर ₹45,64,19,687.00 मूल्य के प्लाट, फ्लैट, व मकान इत्यादि विक्रय के लिए विभिन्न स्थानों पर शेष थे मांगी गई सूचना में यह भी अपेक्षित था कि यह सम्पति कब से विक्रय हेतु शेष पड़ी हुई है परन्तु इस बारे में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर सम्पति अनेक वर्षों से विक्रय हेतु शेष थी । इस सम्पति के विक्रय हेतु अधिकारियों द्वारा ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ₹45.64 करोड़ की सम्पति विक्री हेतु लम्बे समय से शेष चली आना अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से उचित व तवरित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11 r|yu i= d y[kk 'kh"k **Assets in Hand** d vUrxr 31-03-10 dk n'kkb xb jkf'k o fofHkUUk&fofHkUu lEcfU/kr vfHkys[kk }kjk n'kkb xb jkf'k e ₹11-94 djkM dk vUrj %&

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 61/2011, दिनांक 03.01.2011 के द्वारा दिनांक 31.03.10 तक विभिन्न कलौनियों जिनकी अन्तिम लागत निर्धारित की जा चुकी हो में बिक्री हेतु शेष मकान/प्लाट का विवरण अपेक्षित था लेकिन उक्त अधियाचना के उत्तर में प्रदान की गई सूचना संतोषजनक नहीं थी फिर अनेक प्रपत्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचना को समाहित करने पर पाया गया कि ₹16,42,80,279.00 की राषि के मकान/प्लाट/फ्लैट बिक्री हेतु शेष पड़े हुए हैं। परन्तु अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत वार्षिक लेखों के

अनुसार केवल ₹4,48,08,972.53 की सम्पति यथा प्लाट, फ्लैट व मकान बिक्री हेतु शेष दर्षाई गई है। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वार्षिक लेखों में दर्षाई गई स्थिति का मिलान वास्तविक स्थिति के साथ नहीं किया जा रहा है तथा न ही शेष पड़ी सम्पति का वार्षिक सत्यापन हिमुडा अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप ₹11,94,71,306.47 का अन्तर पाया गया । इस गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों का मिलान तैयार अभिलेख के साथ किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

12 ₹16-41 yk[k dh jkf'k dk **Intrest payable A/c** dk vuko';d :i ls gLrkarfjr djuk

Lkek;kstu okÅpj la[;k 197 o"kZ 2009&10 jkf'k ₹16]41]678-00 :–

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा ₹16,41,678.00 का व्यय ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज के रूप में प्रोविजन (फॉर पेएबल) दर्षा कर ओवर ड्राफ्ट इन्ट्रस्ट लेखा को क्रैडिट किया गया था। उक्त वाऊचर द्वारा तैयार किया गया समायोजन युनियन बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा दिनांक 01.04.09 से 31.03.10 तक ओवर ड्राफ्ट लेखा में पड़ें ब्याज के लिए किया गया है। अंकेक्षण में यह समायोजन मास 1/2011 में किया गया जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 10 मास के पष्चात किया गया। 10 मास के पष्चात वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित वास्तविक व्यय हेतु प्रोविजन किया जाना अपने आप में ही विरोधाभाषी है तथा किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में ओवर ड्राफ्ट में दिए गए ब्याज की पुष्टि करके आवष्यक व्यय दर्षाया जाना चाहिए था। ओवर ड्राफ्ट के ब्याज की विस्तृत गणना भी संलग्न प्रपत्र के साथ नहीं पाई गई जिससे सही गणना की जाँच भी सम्भव नहीं हो सकी। इस त्रृटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ओवर ड्राफ्ट ब्याज की पुष्टि करके आवष्यक समाधान किया जाए।

13 ₹41-40 yk[k dh jkf'k dk rF;ksa dk Li"V fd, fcuk yksu jkf'k esa lek;ksftr djuk %&

lek;kstu okÅpj la[;k 139 o"kZ 2009&10] jkf'k ₹4]14]045-00 :–

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के अन्तर्गत हुडको लोन लेखा को ₹4,14,045.00 की राषि से समायोजित किया गया था। हुडको से लिए गए लोन से सम्बन्धित शडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि औगमैंटेषन से एल0डब्ल्यू0एम0एम के सम्बर्द्धन (स्कीम 17943) गिरी नदी सोलन की बकाया राषि में ₹4,14,045.00 की राषि समायोजित की गई थी परन्तु समायोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य संलग्न नहीं पाए गए, न ही तैयार किए गए रजिस्टर में कोई टिप्पणी पाई गई। ऐसा प्रतीत होता है हिमुडा की सम्बन्धित ब्रॉंच द्वारा तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही इस प्रकार के समायोजन किए जा रहे हैं तथा लोन रजिस्टर को भी तदानुसार ही तैयार किया जा रहा है। जोकि किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता।

लोन रजिस्टर को सही प्रकार से तथ्यों के आधार पर तैयार करने के उपरान्त ही हुडको के लेखों के साथ उचित मिलान करके आवष्यक समायोजन किए जाए।

14 **Cost of Sale Receivable** dh jkf'k ₹494-60 yk[k ls lEcfU/kr vfHkys[k rS;kj u djuk&

कास्ट आफ सेल रिसीवेबल का विवरण जो कि तुलन पत्र के साथ संलग्न है के अनुसार ₹4,94,59,666.78 की राषि दिनांक 31.03.2010 को शेष दर्षाई गई है। उक्त शेष राषि के समर्थन में कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया। केवल कॉस्ट रिसीवेबल की राषियों की एक शीट ही तैयार की जा रही है। हिमुडा अधिकारियों द्वारा न तो कोई स्वतः स्पष्ट सत्यापित अभिलेख तैयार किया गया हैं और न ही उक्त शेष राषि को हिमुडा अभिलेख में पाए गए आबंटियों के साथ मिलान किया गया है शाखा द्वारा तैयार अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि कलौनियों के अन्तषेष, खाता बही में दर्षाए गए अन्तषेष के साथ मेल नहीं करते इस प्रकार के कुछ कलौनियों के उदाहरण निम्न वर्णित है।

Ø0 l0	dykWfu;ksa dk uke	[kkrk cgh ds vuqlkj	lEcfU/kr 'kk[kk ds vfHkys[k ds vuqlkj 'ks"k
1	कांगड़ा, हाऊसिंग कलौनी	1,11,026.00	1,61,442.00
2	सोलन, हाऊसिंग कलौनी	17,55,125.00	7,72,791.00
3	परवाणू, हाऊसिंग कलौनी	1,39,935.00	5,38,281.00
4	बद्दी, हाऊसिंग कलौनी	2,38,87,640.00	2,28,79,895.00
5	पांवटा, हाऊसिंग कलौनी	34,08,177.70	28,44,080.00
6	पालमपुर, हाऊसिंग कलौनी	3,49,222.00	1,54,675.00
7	परवाणू, सैक्टर 6	18,63,655.00	17,55,635.00

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख व खाताबही में अत्यधिक भिन्नता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित शाखा के द्वारा आवष्यक मिलान खाता बही के साथ किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए। इस प्रकार की त्रुटि प्रत्येक वर्ष प्रकाष में लाई जा रही है फिर भी इस गम्भीर अनियमितता को ध्यान में रखते हुए लेखों के आवष्यक सुधार हेतु उचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

15 lek;kstu okÅpj la[;k 172] o"kZ 2009&10] jkf'k ₹6-76 yk[k dk vfu;fer :Ik ls fofHkUu dykWfu;ksa ds [kkrksa esa O;; ds :i esa ys[kkc) djuk%&

okÅpj la[;k 172 o"kZ 2009&10] jkf'k ₹6]75]916-00 %&

उपरोक्त समायोजित वाऊचर के द्वारा ₹675916/–की राषि हिमुडा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न बिल्डिंग सैंटरों के लिए पुर्व वर्षों में अधिक व्यय कर दी गई थी, का समायोजन

विभिन्न कलौनियों के खातों में व्यय दर्षाकर किया गया । उक्त वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि इन बिल्डिंग सैंटरों पर पूर्व वर्षों में अधिक व्यय की गई राषि को हुडकों से प्राप्त हुई ग्रांट तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली ग्रांट में समायोजित किया जाना आपेक्षित था, जिसके लिए वर्ष 2009–10 में भी ₹9,50,000.00 की राषि प्राप्त हुई। विभिन्न कलौनियों को इस प्रकार के व्यय को आबंटित करना किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि कौस्टिंग के मूल नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है। अतः अनुचित समायोजन बारे स्थिति ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा आवष्यक समायोजन उचित प्रकार से सही लेखा शीर्ष से किया जाए।

16 e[; dk;ky; lkof/k ys[kk %&

मुख्य कार्यालय के सावधि जमा लेखों की पड़ताल करने पर निम्न अंकेक्षण टिप्पणियाँ आपेक्षित है :–

¼d½ C;kt dh ikIr jkf'k ₹30]986-00 dk de ys[kkfdr djuk %&

यूनियन बैंक आफ इण्डिया के सावधि लेखा संख्या 30950323, दिनांक 24 / 27.11.09 राषि ₹4,00,00,000.00 पर प्राप्त ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा 3% ब्याज दर से 27.02.10 तक (95 दिन) के ₹3,09,863.00 बयाज के रूप में दिए गए। परन्तु रजिस्टर व तैयार अनुसूची के आधार पर केवल 2,78,877.00 की राषि ही लेखा बद्ध की गई जबकि बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज की राषि ₹3,09,863.00 का लेखाकरण अपेक्षित था इस प्रकार ₹30986.00 की राषि कम समायोजित की गई। अतः ₹30986.00 ब्याज की राषि कम समायोजन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में सुधार किया जाए।

¼[k½ ₹2]466-00 dh jkf'k C;kt ds :Ik esa de ikIr djuk %&

उपरोक्त सावधि लेखा की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि 95 दिनों के लिए निवेशित राषि पर 3% की ब्याज दर से ₹3,12,329.00 की राषि प्राप्त की जानी आपेक्षित थी जबकि ₹3,09,863.00 की राषि ही प्राप्त की गई। ₹2,466.00 की ब्याज के रूप में कम प्राप्ति बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹2,466.00 की राषि सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके राषि हिमुडा लेखों में जमा करवाई जाए।

17 ;wdks cSd ds lkof/k tek [kkrks esa ₹2]92]915-00 ds C;kt dh jkf'k de ikIr gkuk %&

यूको बैंक के सावधि जमा खाता संख्या 0424354 / 1820 व 0424353 / 1813, दिनांक 20 / 31.03.08 में ₹50,00,000.00 व ₹50,00,000.00 कुल राषि ₹1,00,00,000.00 अवधि 20.03.08 से 20.09.09 तक छः मास के लिए 8% ब्याज की दर से निवेषित की गई। परिपक्वता पर, ब्याज सहित प्राप्त कुल राषि ₹1,04,04,000.00 के दिनांक 06.11.09 तक पुनः निवेष किया गया। रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ अपने आप में स्पष्ट नहीं हैं तथा इन

प्रविष्टियों के आधार पर यह पाया गया कि इन दोनों सावधि लेखों को समय से पूर्व ही दिनांक 09.04.09 को भूना लिया गया जिसके आधार पर यह राषि 191 दिनों जो छः मास से अधिक थी के लिए पुनः निवेषित रही इस राषि पर तदानुसार ब्याज भी आगामी छः मास या 191 दिन के लिए अर्जित/प्राप्त किया जाना आपेक्षित था। यदि आगामी छः मास की अवधि के लिए भी पुनः निवेष मान लिया जाए तो ₹2,10,160.00 की राषि ब्याज के रूप में अर्जित हुई पूर्व में छः मास की अवधि के लिए अर्जित ब्याज ₹2,02,000.00 को जोड कर वर्ष में प्रत्येक 50 लाख की निवेषित राषि पर ₹4,12,160.00 ब्याज की राषि अर्जित हुई है परन्तु बैंक द्वारा ब्याज के रूप में ₹2,65,703.00 दिए गए। इस प्रकार ₹1,46,458.00 प्रत्येक सावधि लेखा में ब्याज के रूप में कम प्राप्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि बैंक द्वारा इन दोनों सावधि खातों में ₹1,46,458 x 2 = ₹2,92,915.00 की राषि ब्याज के रूप में कम प्रदान की गई है जोकि एक गम्भीर मामला है। ₹2,92,915.00 को ब्याज की कम प्राप्ति बारे मामला बैंक अधिकारियों के साथ उठाया जाए कम प्राप्त ब्याज की राषि को प्राप्त करके हिमुडा लेखों में जमा करवाया जाए।

उपरोक्त गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण उचित व आवष्यक कार्यवाही हेतु विषेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ से लाया जाता है।

18 सावधि जमा खाता संख्याः 424354/4906 व 424353/4883, दिनांक 31.03.08 में ₹50–50 लाख कुल राषि ₹1.00 करोड का निवेष किया गया। अभिलेख में लेखांकित की गई सावधि जमा की दिनांक से यह स्पष्ट होता है कि यह राषियाँ दिनांक 20.03.08 को बैंक में निवेष हेतु जमा की गई परन्तु सावधि लेखा में निवेष दिनांक 31.03.08 से दर्षाया गया है। निवेष अभिलेख से स्पष्ट है कि निवेष बारे निर्णय पूर्व में ले लिया गया था जिसके आधार पर निवेष 20.03.08 को ही कर दिया जाना आपेक्षित था। जिसके परिणामस्वरूप सावधि लेखा में 10 दिन के ब्याज से वंचित होना पड़ा। 10 दिन के विलम्ब से हुए निवेष बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व ब्याज की हानि हेतु सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का दायित्व निर्धारण करके वसूली की जाए।

अन्य सावधि लेखों के निवेष में भी यदि इस प्रकार की त्रृटियां हों तो इस बारे पुष्टि अपने स्तर पर करके आवष्यक उचित कार्यवाही की जाए।

19 lkof/k tek y[kk ¼eq[; y[kk½ dk 'kM;wy e ₹19]672-00 dk vUrj ½&

मुख्य लेखा के सावधि निवेष से सम्बन्धित शडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि ₹20,20,66,942.95 की राषि सावधि जमा खातों में निवेष की गई है जबकि खाता बही में यह राषि ₹20,20,47,275.00 दर्षाई जा रही है। अतः सावधि जमा खाते से सम्बन्धित शडयूल व खाता बही में ₹19,672.00 का अन्तर पाया गया। अंकेक्षण में इस बारे कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। चूंकी इस अन्तर बारे पूर्व में भी अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी परन्तु मिलान

हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः उपरोक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मिलान के उपरान्त लेखों में आवष्यक सुधार किया जाए।

20 ₹4]42]334-00 dh jkf'k d: C;kt dh ikfIr dk vfu;fer iadkj l: lek;kftr djuk ¼&

lek;ktu okÅpj l[;k 192] o"k 2009&10] jkf'k ₹4]42]334@& ¼&

उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा पी0एन0बी0 चैली के सावधि लेखा खाता संख्या 258400/2247 में निवेषित राषि पर, परिपक्वता दिनांक को प्राप्त ब्याज की राषि में ₹4,42,334.10 की राषि को डैबिट करके समायोजित किया गया। किए गए समायोजन का आधार यह दर्षाया गया कि उक्त सावधि खाता में वाऊचर संख्या 145/15 दिनांक 09.04.09 को ब्याज की राषि ₹9,20,173.00 प्राप्ति के रूप में दर्षाइ गई परन्तु वास्तव में ब्याज के रूप में ₹4,77,839.00 ही प्राप्त हुए। अतः अधिक लेखाबद्ध राषि ₹4,42,334.00 को उपरोक्त वाऊचर के द्वारा समाहित किया गया। परन्तु अंकेक्षण में यह पाया गया कि पूर्व के वाऊचर संख्याः 145/15, दिनांक 09.04.09, राषि ₹9,20,173.00 किस आधार पर तैयार किया गया था, स्पष्ट नहीं है तथा वर्तमान में प्राप्त ब्याज को किस आधार पर किया गया, के समर्थन भी कोई पेपर/प्रपत्र संलग्न नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सावधि रजिस्टर में भी प्रविष्टियां लैड पैंसिल से ही की गई जो कि संदिग्धता को दर्षाती है। सम्बन्धित बैंक से सावधि लेखों के सम्बन्ध में आवष्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवष्यक समाधान तदानुसार ही किया जाए।

21 ¼1½ lkof/k tek ys[kk dk vfHkys[k dk j[k&j[kko mfpr iadkj l u djuk ¼&

सावधि जमा रजिस्टर (मुख्य लेखा) की जाँच करने पर पाया गया कि सावधि जमा रजिस्टर/अभिलेख नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है। अभिलेख में की गई प्रविष्टियों की पुष्टि सावधि जमा प्रमाण पत्रों से नहीं की जा सकी क्योंकि यह अभिलेख अंकेक्षण मं पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। सावधि अभिलेखों में ब्याज की दर/समय/निवेष दिनांक इत्यादि की प्रविष्टियां स्वयं में ही विरोधाभाषी हैं। कई स्थानों पर आवष्यक सूचना दर्ज ही नहीं की गई है। सावधि अभिलेख उचित प्रकार से तैयार न करने तथा दी गई सूचना अपने आप में ही पूर्ण न होने के कारण अर्जित/प्राप्त/ब्याज की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। यद्यपि सावधि अभिलेख उचित प्रकार से तैयार न किए जाने बारे पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी अंकेक्षण आपत्तियाँ उठाई गई थी तथापि लेखों में आवष्यक सुधार नहीं किया गया है। करोड़ों रुपयों के सावधि निवेष लेखों का अभिलेख सही प्रकार से तैयार न करना एक गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त प्रकरण आवष्यक सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

¼2½ ₹13]12]715-00 d: lkof/k fuos'k dh fLFkfr Li"V u gkuk ¼&

सावधि रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 35 पर एस0बी0आई0 दी माल षिमला में ₹13,12,715.00 का निवेष बिना किसी विवरण/टिप्पणी के दर्ज किया गया है परन्तु उक्त राषि न तो सम्बन्धित शडयूल में दर्षाई गई और न ही सम्बन्धित बैंक से आवष्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करके इस प्रविष्टि की आवष्यक पुष्टि करवाई गई। सावधि रजिस्टर में की गई प्रविष्टि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

¼3½ lkof/k tek [kkrs esa n;s C;kt dh jkf'k ₹19]650-00 dh de olwyh %&

यूको बैंक निगम बिहार के सावधि लेखा संख्याः 981031, दिनांक 15.01.2009 में 10% ब्याज दर सेएक साल के लिए निवेषित राषि ₹41,71,806.00 पर अर्जित/प्राप्त ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार देय ब्याज की राषि ₹4,33,087.00 बनती थी परन्तु बैंक द्वारा केवल ₹4,13,437.00 की राषि ही प्रदान की गई जो कि ₹19,650.00 कम थी। अतः ₹19,650.00 की राषि ब्याज के रूप में कम प्राप्त किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। ₹19,650.00 की राषि ब्याज सहित सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके राषि सी0पी0एफ0 लेखों में जमा करवाई जाए।

¼4½ lek;kstu okÅpj la[;k 195] ekl 3@2010] jkf'k 1]63]58]139-00 %&

सावधि जमा में अर्जित ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009–10 में अर्जित ब्याज (इंटरैस्ट रिसीवेबल) की राषि का योग ₹1,63,58,139.00 लिया गया जबकि वास्तव में यह योग ₹1,76,21,154.00 बनता है इस प्रकार प्राप्ति योग्य ब्याज के खाते में ₹12,63,015.00 कम लिए गए हैं।

इस खाते का यथा सुधार अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर समायोजन वाऊचर संख्याः 203 वर्ष 2009–10 के द्वारा कर लिया गया है फिर भी पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

22 vkcafV;ksa ls izkIr jkf'k;ksa dks ykxr jkf'k o C;kt jkf'k esa fcuk fdlh Bksl vk/kkj ij lek;kftr djuk %&

विभिन्न कलोनियों के आबंटियों से प्राप्त किस्त की राषियों को बिना ठोस आधार के कलोनियों की लागत राषि व देय ब्याज के लिए समायोजित करना।

lek;kstu okÅpj la[;k	Ekkg	jkf'k ¼₹½ esa
148	3/2010	17,33,383.00
149	3/2010	2,48,988.00
150	3/2010	7,16,254.00
151	3/2010	7,684.00
152	3/2010	1,95,500.00

153	3/2010	95,11,088.00

उपरोक्त समायोजन वाऊचरों के द्वारा हाऊसिंग कलौनी शोघी, संजौली, सोलन, कांगड़ा, परवाणू व बद्दी से प्राप्त किस्तों की राषि को कोस्ट रिसीवेबल लेखों व ब्याज प्राप्ति के लेखों में क्रैडिट किया गया इन समायोजनों की जाँच करने पर पाया गया कि आबंटियों से प्राप्त किस्त की राषियों को कास्ट रिसीवेबल व ब्याज प्राप्ति के लेखों में बिना किसी आधार के अस्वाभाविक रूप में विभाजित किया गया था। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्ति पूर्व में भी उठाई जाती रही है तथापि प्राधिकरण द्वारा लेखों में सुधार हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। आबंटियों से प्राप्तियों को अपनी इच्छानुसार कलोनियों की लागत राषि व ब्याज प्राप्ति लेखों में विभाजित किए जाने के लिए किसी ठोस सूत्र का प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः यह प्रकरण विषेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

23 ₹77807@&dh jkf'k dk LVkd y[kk e vuko';d :i l c<kdj LVkd LVkjt y[kk e vk; d :i e n'kk;k tkuk %&

lek;kstu okÅpj l[;k 161 o"kZ 2009&10] jkf'k ₹79]644-00 %&

उपरोक्त समायोजन के अन्तर्गत ₹77,807/– की राषि स्टॉक लेखा धर्मषाला डिवीजन को डैबिट तथा इतनी ही राषि स्टॉक स्टोरेज लेखा को क्रैडिट करके हिमुडा आय के रूप में दर्षाई गई है। समायोजन की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त समायोजन का कोई ठोस आधार न होने के साथ–साथ तथा वित्तीय लेखा सिद्धान्तों के भी विपरीत पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त में स्टॉक लेखा में पाए गए अन्तर को इस प्रकार अनुचित रूप से समायोजित किया गया है इस प्रकार की त्रुटि निर्माण मण्डल में स्टोर प्राईस लैजर को तैयार न किए जाने के कारण से थी। यद्यपि इस प्रकार की त्रुटि अंकेक्षण द्वारा पूर्व में भी उठाई गई फिर भी मण्डल स्तर पर स्टॉक लेखा को उचित प्रकार से तैयार किए जाने बारे कोई सुधार नहीं किए गए हैं। अतः इस गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में सुधार तदानुसार किया जाए। उपरोक्त गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है।

24 lek;kstu okÅpj l[;k 150] ekl 3@2010] jkf'k ₹7]16]254-00 %&

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा ₹7,16,254.00 की राषि ई0डब्ल्यू0एस0एल0आई0जी0, एम0आई0जी0 सोलन, इन्सटालमैंट रिसीट लेखा को डैबिट तथा इसी कलौनी के कास्ट रिसीवेबल लेखा को ₹1,78,850.00 की राषि क्रैडिअ व ₹5,38,404.00 की राषि ब्याज प्राप्ति लेखा को क्रैडिट की गई थी। वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि डैबिट व क्रैडिट पक्ष में समान राषि ₹7,16,254.00 का समायोजन किया

जाना आपेक्षित था जबकि क्रैडिट पक्ष में ₹7,17,254.00 की राषि गलत प्रकार से लेखाबद्ध की गई थी। ब्याज प्राप्ति लेखा को ₹5,38,404.00 की राषि लेखाबद्ध कर दी गई जबकि यह ₹5,37,404.00 से ही लेखाबद्ध की जानी आपेक्षित थी उक्त त्रुटि के कारण वार्षिक लेखा में ₹1000/–की राषि क्रैडिट पक्ष में अधिक दर्षा कर वार्षिक लाभ को ₹1000/–से बढ़ाते हुए लेखों में भी ₹1000/– का अन्तर डाल दिया गया। गलत समायोजन किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवष्यक सुधार किया जाए।

25 e.Mh e.My d y[kk e ik, x, vUrj dh jkf'k ₹1]993-00 dk vufpr idkj l lek;ktu djuk %& okÅpj l[;k 158] o"k 2009&10] jkf'k ₹1]993-00

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा ₹1,993.00 को राषि का समायोजन सी0पी0एफ (रेगुलर स्टाफ) के लेखों को क्रैडिट व विविध व्यय लेखों को इतनी ही राषि से डैबिट किया गया था। इस वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि यह समायोजन मण्डी मण्डल के लेखा अवधि 2008–09 में सी0पी0एफ0 के लेखों में ₹1,98,007.00 की राषि क्रैडिट के रूप में पाए जाने तथा मुख्यालय लेखा में ₹2-00 लाख रुपये सी0पी0 एफ में होने पर ₹1,993.00 का अन्तर पाया गया जिसे बिना मिलान किए ही मुख्यालय के लेखों में व्यय के रूप में दर्षाकर समाप्त कर दिया गया। यह समायोजन अपने आप में विरोधाभाषी ही नहीं बल्कि लेखा सिद्धान्तों के भी विपरीत है। इस अन्तर को तथ्यों के आधार पर समायोजन किया जाना आपेक्षित था। इस गम्भीर त्रुटि के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। इस अन्तर का समाधान करके लेखों में उचित समायोजन किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

26 cd vkoj Mk¶V ij vfu;fer idkj l C;kt dk Hkxrku fd;k tkuk %&

हिमुडा के लेखाओं वर्ष 2009–10 की जाँच करने पर पाया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक ओवर ड्राफ्ट की राषि पर ₹16,41,670.00 का ब्याज देय था। सावधि खातों में किए गए करोड़ों रुपयों के निवेष को ध्यान में रखते हुए ब्याज की राषि के भुगतान का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता। हिमुडा द्वारा सावधि खातों में किए गए निवेष में अर्जित ब्याज दर से ढेड़ से दो गुणा ब्याज की दर पर ओवर ड्राफ्ट प्राप्त किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अंकेक्षण में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अन्य बैंकों के ओवर ड्राफ्ट की स्थिति क्या थी ? क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख बैंक प्रपत्र/विवरण व बैंक समाधान विवरण तैयार ही नहीं किया गया था। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट से परिहार किया जाए।

27 okgu l[;k ,p0ih0&03&lh&0008 dh uhykeh l iklr jkf'k ₹18]700@&l lEcfU/kr vfHkys[k iLrr u djuk %&

lek;ktu okÅpj l[;k 168] o"kZ 2009&10] jkf'k ₹85]278 %&

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा वाहन नम्बर एच0पी0–03–सी–0008 की नीलामी से प्राप्त राषि ₹18,700/–को डैबिट तथा ₹85278.30 को फिक्सड एसेट को क्रैडिट करते हुए शेष राषि ₹66,578.30 की हानि दर्षाते डैबिट किया गया। समायोजन की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर के साथ कोई भी सम्बन्धित अभिलेख जैसे उक्त गाड़ी को कण्डम किए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या रिर्जव प्राइस रखी गई थी तथा नीलामी किए जाने सम्बन्धित अन्य अभिलेख वाऊचर के साथ संलग्न नहीं थे जिस कारण आवष्यक जाँच सम्भव नहीं हो पाई। समायोजन वाऊचर के साथ आवष्यक अभिलेख न लगाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक अभिलेख संलग्न करते हुए नीलामी बिक्री की राषि को उचित ठहराया जाए।

28 v'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk e v'knku dk le; ij tek u djoku d QyLo:i C;kt dh jkf'k ₹93]196@&dh gkfu %&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के अंषदायी भविष्य निधि खातों (वर्ष 2009–10) की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा मण्डलों/मुख्यालय से प्राप्त होने वाले अंषदान प्रत्येक मास की 10 तारीख तक न तो प्राप्त किए जा रहे थे तथा न ही 10 तारीख से पहले बैंक खातों में जमा किए जा रहे थे। यहां पर उल्लेखनीय है कि मास की 10 तारीख से पहले जमा राषि पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है तथा मास की 10 तारीख के उपरान्त जमा करवाई गई राषियों पर बैंक द्वारा उस मास का ब्याज नहीं दिया जाता। आवास एंव शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय/मण्डलों का अंषदान अंषदायी भविष्य निधि बैंक खाते में समय पर जमा न करवाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को वर्ष 2006–07 में राषि ₹1,10,966/–, वर्ष 2007–08 में ₹49,010/–, वर्ष 2008–09 में ₹1,04,863/– तथा वर्ष 2009–10 में ₹93,186/–की हानि उठानी पड़ी जबकि अंषदायी भविष्य निधि खातों में जमा राषि पर अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित रूप से देय ब्याज से राषि का भुगतान किया गया जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। मास की 10 तारीख के बाद मण्डलों से प्राप्त अंषदानों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। भविष्य में मण्डलों /मुख्यालय से अंषदान को मास की 10 तारीख से पहले प्राप्त करना तथा बैंक में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि प्राधिकरण को जमा न की गई राषियों पर ब्याज की हानि न उठानी पड़े अन्यथा ब्याज की हुई हानि की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मुख्यालय/मण्डलों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों का उत्तरदायितव निर्धारणोंपरान्त की जानी सुनिष्चित की जाए :–

jlhn l[;k	iækfIr dh frfFk	jkf'k ¼₹½	Okru ekl	e.My dk uke
0139598	18.04.09	4,58,612.00	मार्च, 2009	धर्मषाला
0139599	18.04.09	2,49,400.00	मार्च, 2009	मण्डल–1 षिमला
0139600	18.04.09	3,95,589.00	मार्च, 2009	धर्मषाला
0139707	11.05.09	9,10,450.00	अप्रैल, 2009	मुख्यालय
0139708	21.05.09	4,90,810.00	अप्रैल, 2009	परवाणू
0139709	21.05.09	4,11,649.00	अप्रैल, 2009	धर्मषाला
0139718	11.06.09	81,649.00	मई, 2009	धर्मषाला
0139719	15.06.09	4,59,537.00	मई, 2009	परवाणू
0139727	14.07.09	2,55,700.00	जून, 2009	मण्डल–2 षिमला
0139728	18.07.09	3,84,188.00	जून, 2009	धर्मषाला
0139736	11.08.09	9,64,700.00	जुलाई, 2009	मुख्यालय
0139737	17.08.09	4,47,606.00	जुलाई, 2009	परवाणू
0139738	20.08.09	3,95,119.00	जुलाई, 2009	धर्मषाला
0139745	11.09.09	3,99,310.00	अगस्त, 2009	धर्मषाला
0139746	11.09.09	4,38,046.00	अगस्त, 2009	परवाणू
0139756	14.10.09	3,19,035.00	सितम्बर, 2009	धर्मषाला
0139757	14.10.09	4,46,928.00	सितम्बर, 2009	परवाणू
0139758	14.10.09	89,251.00	सितम्बर, 2009	धर्मषाला
0139770	13.11.09	2,60,950.00	अक्तूबर, 2009	मण्डल–1 षिमला
0139774	18.11.09	4,46,789.00	अक्तूबर, 2009	परवाणू
0139776	18.11.09	4,06,286.00	अक्तूबर, 2009	धर्मषाला
0139783	11.12.09	4,17,063.00	नवम्बर, 2009	धर्मषाला
0139785	15.12.09	5,06,517.00	नवम्बर, 2009	परवाणू
0139790	11.01.10	2,77,950.00	दिसम्बर, 2009	मण्डल–1 षिमला
0139792	11.01.10	9,61,750.00	दिसम्बर, 2009	मुख्यालय
0139794	12.01.10	3,89,390.00	दिसम्बर, 2009	धर्मषाला
0139795	13.01.10	3,34,100.00	दिसम्बर, 2009	मण्डी
0139796	13.01.10	4,55,009.00	दिसम्बर, 2009	परवाणू
0045104	11.02.10	3,84,818.00	जनवरी, 2010	धर्मषाला
0045105	17.02.10	84,445.00	जनवरी, 2010	धर्मषाला
0045106	17.02.10	5,38,090	जनवरी, 2010	परवाणू
0045115	12.03.10	2,86,250.00	फरवरी, 2010	मण्डल–1 षिमला

0045116	12.03.10	85,978.00	फरवरी, 2010	धर्मषाला
0045117	12.03.10	5,46,426.00	फरवरी, 2010	परवाणू
		₹1]39]79]390		

29 ₹5]531-00 dh jkf'k cSad deh'ku pkftZt dk vfHkys[k izkIr fd, fcuk O;; n'kkZuk %&

अंषदायी भविष्य निधि लेखा से बैंक कमीषन के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों के साथ बैंक द्वारा दिया गया सहायक पत्र/प्रमाण पत्र, पूर्ण विवरण जैसे कि बैंक कमीषन चार्जिज किस बैंक ड्राफ्ट/ट्रांजैक्षन इत्यादि से सम्बन्धित थे का अभिलेख संलग्न नहीं था और न ही आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इन्हें सत्यापित करके स्थिति स्पष्ट की गई थी। सहायक वाऊचर/उप वाऊचर के बिना ही बैंक चार्जिज के रूप में व्यय दर्षाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को न दोहराते हुए वर्ष 2008–09 के पैरा 9(ख) ₹9,411/– वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में ₹5,531/– की राषि के बैंक चार्जिज के रूप में किए गए व्यय बारे पूर्ण विवरण बैंक से प्राप्त किया जाए तथा राषि का सत्यापन करके अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए

okÅpj la[;k	fnukad	cSad pkftZt dk :i esa fd;k x;k O;; ¼₹½	cSad dk uke
25	12.05.09	1385.00	यूको बैंक निगम बिहार षिमला–2
119	20.10.09	2,991.75	यूको बैंक निगम बिहार षिमला–2
185	22.02.10	989.25	यूको बैंक निगम बिहार षिमला–2
213	31.03.10	165.00	यूको बैंक निगम बिहार षिमला–2
		₹5]531-00	

30 अंषदायी भविष्य निधि लेखा की रोकड़ के पृष्ट–III के अनुसार ₹96,38,906.54 की राषि दिनांक 31.03.2010 को अन्तषेष दर्षाई गई तथा सावधि जमा योजनाओं में निवेषित राषियां रोकड़ में जमा नहीं दिखाई जा रही थी जो कि रोकड़ की बकाया राषि में शामिल नहीं थी। वर्ष 2009–10 के अंषदायी भविष्य निधि लेखा की पड़ताल करने पर पाया गया कि जब भी कोई राषि सावधि जमा योजनाओं में निवेष की जाती है तो वह राषि भुगतान के रूप में दर्षाई जाती है। इस प्रकार जब कोई राषि सावधि जमा योजनाओं से निकाली जाती है तो वह राषि आय में जमा की जाती है जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। नियमानुसार सावधि जमा योजनाओं में निवेषित राषियों का विवरण रोकड़ की बकाया राषि में जमा किया जाना आवष्यक है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2005–06 के पैरा 30, वर्ष 2006–07 के पैरा 7 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008–09 के पैरा 10 में प्राधिकरण के अधिकारियों से आग्रह किया गया था कि रोकड़ (कैष बुक) में कैष कॉलम तथा

दूसरे में सावधि जमा योजनाओं का लेखा दर्षाया जाए ताकि बैंकों में कैष (रोकड) व सावधि जमा योजनाओं में जमा राषियों का मासिक समाधान/मिलान कैष बुक (रोकड) से किया जा सके। परन्तु वर्ष 2009–10 के अंषदायी भविष्य निधि लेखा की रोकड़ (कैष बुक) में ऐसा सुधार नहीं किय गया जो कि असन्तोषजक है। अंषदायी भविष्य निधि लेखा की रोकड़ में आवष्यक सुधार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 vi'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrs dk cSad lek/kku fooj.k %&

¼1½ अंषदायी भविष्य निधि खाते वर्ष 2009–10 की बैंक समाधान विवरणिका की पड़ताल करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 01.05.2000 को ₹18,000/– अधिक डैबिट अर्थात ₹16,13,713.00 के स्थान पर ₹16,31,713/– डैबिट दिखाया गया है उपरोक्त अधिक डैबिट के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अधिक दर्षाए गए डैबिट के सम्बन्ध में मामला सम्बन्धित बैंक/बैंक अधिकारियों से उठाया जाए व बैंक खाते में अधिक दिखाए गए डैबिट के सम्बन्ध में या तो बैंक से लिखित रूप में ठोस प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं अन्यथा किए गए डैबिट के अनुरूप क्रैडिट (जमा) प्राप्त किया जाएं दिनांक 31.03.2000 को बैंक में ₹25,174/– का चैक जमा करवाया गया था परन्तु बैंक द्वारा जमा करवाए गए चैक का क्रैडिट नहीं दिया है। अतः क्रैडिट लेने हेतु मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2008 को ₹205/–तथा दिनांक 28.10.2009 को ₹315/– बैंक द्वारा कमीषन चार्जिज के रूप में डैबिट दर्षाए गए हैं जो कि उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता तथा चैक कलीरिंग चार्जिज के रूप में बैंक खाते में डेबिट किए गए उक्त राषियों का प्रकरण बैंक से उठाया जाए तथा वस्तुस्थिति आगामी लेखा परीक्षा में स्पष्ट की जाए।

¼2½ अंषदायी भविष्य निधि खाते की वर्ष 2009–10 की बैंक समाधान विवरणिका की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित दिनांकों को ₹5,13,571.46 की राषियां बैंकों द्वारा क्रैडिट (जमा) दर्षाई गई है परन्तु यह राषियां रोकड़ बही में जमा नहीं दर्षाई गई। यहां पर यह कहना भी उचित होगा कि लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार आपत्तियां उठाने पर भी इन राषियों का समाधान नहीं किया गया। अतः इन राषियों का प्रमाण सहित समाधान किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

fnukad	jkf'k ¼₹½
15.10.2008	1,27,137.00
30.06.2008	28,274.00
31.12.2008	16,133.00
30.06.2009	16,415.00
17.08.2009	2,784.00
17.08.2009	0.46

13.04.2009	3,22,828.00
	₹5]13]571-46

32 हिमाचल प्रदेष आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 की धारा 40(5) व हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 25(5) के अनुसार हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण की निधि केवल एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी जैसी की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए परन्तु हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, षिमला–2 की वर्ष 2009–10 की रोकड़ में दिनांक 31.03.2010 को ₹17,29,12,597.59 की राषि निम्न विवरणानुसार 14 विभिन्न बैंकों में जमा दर्षाई गई है :–

Øe l£[;k	cSad dk uke	fnukad 31-03-10 dks tek jkf'k ¼₹½
1	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, दी माल षिमला	44,36,432.55
2	यू0टी0आई0 बैंक	10,95,15,859.50
3	यूको बैंक निगम बिहार षिमला	72,60,552.88
4	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, दी माल षिमला	8,29,598.72
5	पंजाब नैषनल बैंक, दी माल षिमला	11,15,215.74
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सचिवालय षिमला	10,21,326.31
7	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, दी माल षिमला	3,90,627.71
8	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, षिमला	4,25,801.54
9	आई0डी0बी0आई0 बैंक, दी माल षिमला	86,84,221.00
10	इन्डस बैंक, दी माल षिमला	2,97,05,835.50
11	कैनरा बैंक, दी माल षिमला	16,95,403.00
12	आई0सी0आई0सी0आई बैंक षिमला	75,02,709.19
13	एस0बी0पी0बैंक (मुख्य)	41,756.95
14	एस0बी0आई0, न्यू षिमला	2,87,257.00
		₹17]29]12]597-59

अतः उपरोक्त विववरणानुसार प्राधिकरण द्वारा निधियों को 14 विभिन्न बैंकों में जमा किया गया जिन बैंकों में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक शामिल है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अतः इन बैंकों में निधियों को जमा करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंजाब नैषनल बैंक चैली व घोड़ा चौकी में क्रमषः ₹54,42,334/– व ₹25,00,000/–की राषि सावधि जमा योजना में निवेषित की गई थी। प्राधिकरण के षिमला में स्थित विभिन्न बैंकों के 14 बैंक खातों के होते हुए उक्त ₹79,42,334/– की राषि को षिमला से 12–15 किलोमीटर

दूर में निवेषित किया जाना न तो उचित है और न ही सुविधाजनक है। अतः ₹79,42,334/– की राषि को षिमला के बैंकों में निवेष न करके चैली व घोड़ा चौकी के बैंकों मे निवेष करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः उक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त बैंकों में निधियां केवल मात्र बैंकों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देष्य से ही निवेष की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त 14 बैंक खातों व लेखों के रख–रखाव के लिए अनावष्यक रूप से अत्याधिक समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। अतः प्राधिकरण को सुझाव दिया जाता है कि निधियों को उपरोक्त विभिन्न 14 बैंकों के खातों में न रख कर केवल एक–दो बैंकों के खातों में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि भविष्य में लेखों के रख–रखाव में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

33 ₹99]89]993-78 dh jkf'k vfu;fer :i ls vudyklhQkbZM [kkrk esa n'kkZ;k tkuk %&

खाता बही के पृष्ठ 442 की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनकलासीफाईड शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्त में ₹99,89,993.78 की राषि गत वर्षों से वर्तमान तक समायोजन हेतु लम्बित थी। उपरोक्त लेखा शीर्ष की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त लेखा में अनेक प्रविष्टियों की कांट–छांट अनुचित ढंग से की गई जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त लेखा की वर्ष के दौरान वास्तविक स्थिति क्या थी। खातों में दर्ज प्रविष्टियों की इस प्रकार की कांट–छांट को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेखों में अनावष्यक रूप में कांट–छांट किए जाने व दिनांक 31.03.10 तक ₹99,89,993.78 की राषि गत वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित दर्षाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में इन त्रुटियों का शीघ्र समाधान करके खाता बही में कांट–छांट न करके अषुद्धियों/अनियमितताओं का समाधान/समायोजन वाऊचर के माध्यम से ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 ₹72-10 yk[k dh /kjkgj@bULVkyesaV dh jkf'k fgeMk dh [kkrk cgh esa MsfcV :i esa olwyh gsrq 'ks"k %&

खाताबहीयों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार धरोहर/इन्स्टालमैंट राषि के लेखों में दिनांक 31.03.10 की ₹72,10,967/–की राषि डैबिट थी। अतः ₹72,10,967/–की राषि का लेखों में डैबिट की स्थिति के बारे में तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए लेखों में तदानुसार आवष्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Øe la[;k	dykuh dk uke	[kkrk cgh	fnukd 31-03-10 dks MsfcV :Ik esa

		i"B	iMh jkf'k ¼₹½
1	इन्सटालमैंट एम0आ0जी0 नया नगर हमीरपुर	172	17,49,133.50
2	इन्सटालमैंट एच0आ0जी0 जाखू	176	40,829.00
3	इन्सटालमैंट एच0आ0जी0 खनयारा	274	1,16,320.00
4	इन्सटालमैंट टाईप–4 सैक्टर–4 परवाणू	432	15,555.00
5	धरोहर राषि एल0आई0जी0 / एम0आ0जी0 मैहतपुर	15	2,000.00
6	धरोहर राषि एच0आई0जी0 / एम0आ0जी0 नादौन	15	6,500.00
7	धरोहर राषि पावंटा साहिब शुभखेरा	32	89,680.00
8	धरोहर राषि स्ट्रोवरी हिल (कैट I,II,III & IV)	38	16,837.00
9	धरोहर राषि देहरा	40	27,900.00
10	धरोहर राषि कसुम्पटी	43	8,93,244.00
11	धरोहर राषि एच0आ0जी0 / एम0आ0जी0 बिलासपुर	47	31,410.00
12	धरोहर राषि एच0आ0जी0 / एम0आ0जी0 ज्वालामुखी	49	500.00
13	धरोहर राषि एच0आ0जी0 / एम0आ0जी0 / एच0आई0जी0 बसाल सोलन	64	1,68,212.50
14	धरोहर राषि मन्धाला	72	12,18,409.00
15	धरोहर राषि काला अम्ब	211	1,00,200.00
16	धरोहर राषि हरीपुर सरोल चम्बा	238	4,20,000.00
17	धरोहर राषि टाईप–बी0 प्लाट न्यू षिमला	324	22,32,000.00
18	इन्सटालमैंट पालमपुर एच	175	72,237.00
19	गैराज शौघी	195	10,000.00
		d|y ;kx	₹72]10]967@&

35 ¼1½ **₹3]034@& C;kt dh jkf'k dh de olwyh** ¼&

आबंटियो के खाता बहीयों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित आबंटियों के प्लाट को Fully paid up करते समय उनसे ब्याज की राषि ₹3,034/– कम वसूल किए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

Ø0	vkcfVr 0;fDr	lykV	[kkrk cgh lykV dk	C;kt dh	fVIi.kh

l0	dk uke o irk	l0	i0 l0	Qy iM vi dju dh frfFk	de olyh	
1	श्री एच0एम0एल0 मगलानी टाईप–1 बसाल सोलन	17	420	22.08.09	264 / –	छः माही किस्तों का समय पर भुगतान न करने के कारण ₹264 / – बयाज की कम वूसली की गई
2	श्रीमति हरबन्स कौर टाईप–1 बसाल सोलन	18	430	31.07.09	2,770 / –	छः माही किस्तों का समय पर भुगतान न करने के कारण ₹2,770 / – ब्याज की कम वसूली की गई।

¼2½ jkdM cgh i"B 71 e ₹194@&de n'kkuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्याः 190, दिनांक 18.04.09 को चैक संख्याः 145462 द्वारा श्रीमति रिम्पी गोबल को प्रतिभूति राषि ₹1,094 / –लौटाई गई। उक्त राषि श्री मति रिम्पी गोबल द्वारा प्राप्त न किए जाने के कारण 31.03.10 को रोकड़ बही पृष्ठ 71 पर ₹900 / – की राषि ली गई जबकि ₹1,094 / –की राषि रोकड़ बही के आय पक्ष में ली जानी आपेक्षित थी। अतः ₹194 / –रोकड़ बही में कम लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस त्रुटि का सम्बन्धित अभिलेखों में प्रविष्टि करके सुधार किया जाए।

36 ₹3-69 yk[k dh jkf'k dk vkcafV;ksa d [kkrks e ØfMV u djuk ¼&

इन्सटालमैंट लैजर की पड़ताल करने पर पाया गया कि आबंटियों से प्राप्त राषि की प्रविष्टि इन्सटालमैंट लेजर में करने के बाद आबंटियों के खाते में क्रैडिट की जानी आपेक्षित थी परन्तु ₹3,69,669 / –की राषि जिसका विवरण नीचे दिया गया है आबंटियों के खाते में क्रैडिट नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की प्रविष्टि सम्बन्धित खातों मे करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

uke o irk	jkf'k ikfIr dh frfFk	bUlVkyeSV ytj u0 o i0 l0	jkf'k
सोम दत्त एफ–34, बी–3 सैक्टर–4 परवाणू	05.03.10	लेजर–1 / पृ0 428	1590 / –
नरेन्द्र कुमार एफ–359, बी–3 सैक्टर–4 परवाणू	09.03.10	लेजर–1 / पृ0 428	3234 / –
बी0एस0गुलाटी एफ–7 बी05 सैक्टर–4 परवाणू	17.03.10	लेजर–1 / पृ0 428	28,385 / –

तिलक राज अरोड़ा पी0—280, सैक्टर—4 परवाणू 27.03.10 लेजर—1 / पृ0 429 2,33,460 / —

श्रीमति शकुन्तला देवी, बी—12, एफ—14 केट—4 कण्डाघाट 03.03.10 लेजर—1 / पृ0 258 1,03,000 / —

dqy jkf'k ₹3]69]669@&

37 okÅpj la[;k% 3753] fnukad 09-03-10] jkf'k ₹90]00]000@&
okÅpj la[;k% 3782] fnukad 11-03-10] jkf'k ₹12]00]000@&

₹1]91]67]630@&

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा ₹1,91,67,630.00 की राषि का आयकर विभाग को अग्रिम भुगतान, किया गया। वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया के वर्ष 2009—10 से सम्बन्धित आयकर की गणना का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। आयकर का अग्रिम भुगतान किस आधार पर किया गया है का वाऊचर में कोई उल्लेख नहीं था जिस के अभाव में भुगतान किए गए अग्रिम आयकर की पुष्टि नहीं हो सकी। 2009—10 के आयकर की गणना से सम्बन्धित अभिलेख आवष्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा भविष्य में आयकर का अग्रिम भुगतान करने से पूर्व आयकर की गणना से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि देय आयकर की राषि की पड़ताल की जा सके।

38 fgeqMk eq[;ky; ls lEcfU/kr O;; ₹70-16 yk[k dks lks'ky gkÅflax@lSYQ QkbZuSafLkax Ldhe dh ykxr esa tek djds bu Ldheksa dh ykxr esa vukoo';d :i ls c<+krjh djuk

हिमुडा के वार्षिक लेखों में “Abstract of Schedule of works in Progress Social Housing/ Self Financing Scheme” के क्रम संख्याः 419 पर Interest on over Draft a/c शीर्षक के अन्तर्गत ₹70,16,419 / —दर्षाये गए हैं।

पड़ताल करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्षाई गई राषि हिमुडा मुख्यालय के बैंक खातों से सम्बन्धित है। जिसे विभिन्न सोषल हाऊसिंग / सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम की लागत में जमा करके अनावष्यक रूप से इन हाऊसिंग स्कीम की लागत को बढाया गया है। चूंकि इस लेखा शीर्षक में दर्षाई गई राषि हिमुडा मुख्यालय के बैंक खातों से सम्बन्धित हैं, अतः नियमानुसार इसे वार्षिक लाभ हानि खाते में डैबिट साईड व्यय रूप में दिखाया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके हाऊसिंग स्कीम की लागत में जमा करके लागत / व्यय को अनावष्यक रूप से बढ़ौतरी की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में इस तरह के खर्चों को वार्षिक लाभ—हानि खाते में डालना सुनिष्चित किया जाए।

39 jkdM cgh dk y[kkdu@j[kj[kko mfpr i dkj l u dju d dkj.k ₹11-62 yk[k dk vUrj ½&

हिमुडा के वार्षिक लेखों में Current Assets, Loans and Advances Schedule-E के क्रम संख्याः 34 पर रैक्टीफिकेषन लेखा शीर्षक के अन्तर्गत क्रमषः ₹11,63,271/– ₹4,005/– (–) ₹5,202/– की राषियाँ वर्ष 2006–07, 2008–09, तथा अंकेक्षणाधीन वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित पाई गई। लेखा शीर्षक से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह रैक्टीफिकेषन किस मद से सम्बन्धित थी, फिर भी पड़ताल करने पर पाया गया कि यह मदें रोकड़ बही में गत वर्षों से सम्बन्धित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित शाखा द्वारा, रोकड़ बही के अन्तर को सुधार हेतु 4 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस त्रुटि से स्पष्ट है कि रोकड़ बही का लेखांकन/रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है, तथा उपरोक्त अन्तर के मिलान हेतु कोई गम्भीर कार्यवाही शाखा स्तर पर नहीं की जा रही है। रोकड़ बही में पाये गए अन्तर का समाधान तीन वर्ष उपरान्त न किया जाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता व वित्तीय नियमों के भी विरूद्ध है उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि/लेखों में आवष्यक सुधार किए जाने हेतु मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

40 vkokl cfLr;k d i.k gku ij vfUre eY; fu/kkfjr djr le; y[kk e lek;ktu u djuk ½&

अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनेक आवास बस्तियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्मित किए गए मकान/फ्लैट इत्यादि भी आबंटित किए हुए 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है इन आवास बस्तियों के अन्तिम मुल्य निर्धारित करते समय बस्तियों पर किए गए व्यय व प्राप्त राषियों के लेखों का समायोजन नहीं किया गया यद्यपि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस प्रकार की आपत्तियां उठाई गई थी परन्तु फिर भी प्राधिकरण द्वारा इसके निपटारे हेतु कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की राषियां समायोजन हेतु लम्बित है। आवास बस्तियों के आय–व्यय का आवष्यक समायोजन न किए जाने के कारण प्राधिकरण के वार्षिक लेखे वास्तविक स्थिति नहीं दर्षाते।

अतः वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक पूर्ण कर ली गई आवास बस्तियों के व्यय व प्राप्तियों के लेखों का समायोजन नियमानुसार किए जाने बारे मामला पुनः हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

41 ,d y[kk 'kh"kd dh jkf'k dk vukf/kd`r :i l nlj y[kk 'kh"kd e LFkkukUrj.k djuk

हिमुडा के विभिन्न निर्माण मण्डलों की बहियों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मण्डी निर्माण मण्डल के वर्ष 2009–10 की बही के पृष्ठ संख्याः 105 पर वर्णित लेखा शीर्षक "Evalution of old structure (Koldam) C/o Re-Settlement colony at Jamthal Kango" के अन्तर्गत क्रैडिट राषि ₹1,92,920/–में दूसरे लेखा शीर्षक "Development of New township for outsee of Bhakhra Dam Near HRTC Workshop Bilaspur" के अन्तर्गत डैबिट राषि ₹1,67,081/–को बिना समायोजन वाऊचर के अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित किया गया, जो लेखा प्रक्रिया की अनदेखी करना है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में इस तरह के हस्तांतरण हेतु समायोजन वाऊचर बनाने की प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाए।

42 वर्ष 2009–10 के लाभ हानि खाते में डैबिट पक्ष में "Repair & Maintenance of vehicles" शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा ₹(–)15,49,665/–दर्षाये गए हैं "Repair & Maintenance of vehicles" शीर्षक की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राषि उपरोक्त शीर्षक के क्रैडिट पक्ष ज्यादा होने के कारण (–) में आई। प्रचालित लेखांकन नियमों अनुसार यदि किसी रेवन्यू व्यय लेखा शीर्षक का अन्तिम शेष क्रैडिट में आता है तो उसे वार्षिक लाभ हानि खाते में क्रैडिट पक्ष में दिखाया जाता है न कि डैबिट पक्ष में (–) चिन्ह के साथ जैसा कि हिमुडा द्वारा उपरोक्त लेखा शीर्षक को दर्षाने हेतु किया गया है। अतः वाहनों के रख–रखाव शीर्षक के अन्तर्गत अन्तिम शेष की राषि (–) ₹15,49,665/–के कारणों को विस्तार से स्पष्ट करते हुए लाभ हानि खाता में लेखा शीर्षक दर्षाने हेतु प्रचलित लेखा नियमों का पूर्णतया पालन किया जाए।

43 <u>fuek.k e.Myks ls lEcfU/kr [kkrk cfg;ks dk j[k&j[kko mfpr iadkj ls u fd;k tkuk</u>

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित खाता बहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों में दर्ज विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत राषियों का उल्लेख उचित प्रकार से नहीं किया गया, निम्न विवरणानुसार विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत दर्ज राषियों का योग भी ठीक से नहीं किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में उचित सुधार किया जाए, अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

fuek.k e.My dk uke	Yks[kk 'kh"kZd	Yks[kk cgh i0 l0	jkf'k@;ks x tks fn[kk;k x;k	jkf'k@;ksx tks fn[kk;k tkuk pkfg, Fkk	vUrj	fVIi.kh
षिमला डिवीजन नं0–1	स्टॉक स्टोरज एक्सपेंसिज एकाऊंट	210	7,80,014 (डैबिट)	7,81,014 (डैबिट)	1000	योग गलत किया गया।

षिमला डिवीजन नं0–2	आयुर्वेदिक हास्पिटल एट सोलन	97	2,92,982 (क्रैडिट)	2,92,986 (क्रैडिट)	4	योग गलत किया गया।
धर्मषाला डिवीजन	निर्माण इनडोर स्टेडियम एट धर्मषाला स्पोंटस काम्पलैक्स	271	16,16,000 (क्रैडिट)	16,60,000 (क्रैडिट)	44,000	राशि गलत लिखी गई
	फाऊंडेषन स्टोन जी0एस0एस0 भटोली	292	16,46,299 (क्रैडिट)	16,44,909 (क्रैडिट)	1390	योग गलत किया गया।

44 cSad lek/kku fooj.k rS;kj u fd;k tkuk %&

अंकेक्षण के दौरान निम्न बैंकों के बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में रोकड़ बही शेष व बैंक पास बुक शेष के अन्तर की राषि का सत्यापन नहीं किया जा सका। बैंक समाधान विवरणिका तैयार न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निम्न बैंकों की वर्ष 2009–10 की बैंक समाधान विवरणिकायें तैयार की जानी सुनिष्चित की जाएं तथा आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत की जाए।

Ø0 l0	cSad dk uke	jksdM+ cgh vuqlkj 'ks"k	cSad vuqlkj 'ks"k	vUrj
1	यू0टी0आई0 दि माल षिमला	36,37,552.05	44,36,432.55	7,98,880.50
2	एक्सिस/यू0टी0आई	(–) 22,32,569.50	10,95,15,859.50	10,72,83,290.00
3	यूको बैंक, षिमला–2	(–) 3,96,715.99	72,60,552.88	68,63,836.89
4	एच0डी0एफ0सी0 बैंक दि माल षिमला	(–) 2,35,676.21	8,29,598.72	5,93,922.51
5	पी0एन0बी0, दि माल षिमला	7,09,897.74	11,15,215.74	4,05,318.00
6	एस0बी0पी0(ईस्ट) षिमला	9,87,522.31	10,21,326.31	33,804.00
7	एस0बी0आई0, दि माल षिमला	(–) 1,11,187.17	3,90,627.71	2,79,440.54
8	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक षिमला	2,85,547.54	4,25,801.54	1,40,254.00
9	आई0डी0बी0आई, दि माल षिमला	63,72,178.00	86,84,221.00	23,12,043.00
10	इंडस बैंक, दि माल षिमला	2,82,84,037.00	2,97,05,835.50	14,21,798.50
11	कैनरा बैंक, दि माल षिमला	17,50,216.00	16,95,403.00	54,813.00
12	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक,	21,95,888.82	75,02,709.17	53,06,820.35

	षिमला			
13	एस0बी0आई0 (मेन)	29,286.95	41,756.95	12,470.00
14	एस0बी0आई (न्यू षिमला)	2,87,257.00	2,87,257.00	—
15	सी0बी0आई0	8,065.14	खाता बन्द किया गया।	—
16	पी0एन0बी0 (कसुम्पटी)	21,571.84	खाता बन्द किया गया।	—

HIMUDA

It is certified that HIMUDA have maintained 16 nos. current A/c/saving Accounts with different Banks. The details of Banks and Bank balance as on 31.03.2010 is as under :-

Sr. No.	Name of Banks			Balance as on 31-03-10
1	Union Bank of India, The Mall Shimla			₹44,36,432.55
2	Axis/UTI Bank			
	1	A/c No. 912	64,96,315.49	
	2	A/c No. 45225	10,30,19,544.01	
			10,95,15,859.50	₹10,95,15,859.50
3	UCO Bank, Nigan Vihar Shimla-2			₹72,62,552.88
4	HDFC Bank, The Mall Shimla-1			₹8,29,598.72
5	Punjab National Bank The Mall Shimla			₹11,15,215.74
6	SBP (East) Scett. Branch Shimla-2			₹10,21,326.31
7	SBI The Mall Shimla-1			₹3,90,627.71
8	Punjab & Sindh Bank The Mall Shimla			₹4,25,801.54
9	IDBI Bank, The Mall Shimla			₹86,84,221.00
10	Indus Bank, The Mall Shimla			₹2,97,05,835.00
11	Canara Bank, The Mall Shimla			₹16,95,403.00
12	ICICI Bank, The Mall Shimla			₹75,02,709.17
13	SBP (Main)			₹41,756.95
14	SBI (New Shimla)			₹2,87,257.00
15	Punjab Nation Bank (Kasumpti)			A/c closed but balance out is to be
16	CBI, The Mall Shimla			said/are being adjusted

45 lkof/k y[kk ¼,QOMh0vkj0½ l lEcfU/kr cd iek.k i= miyC/k u djokuk %&

अन्तिम लेखों में सावधि निवेष की राषि ₹20,20,47,275.95 दर्षाई गई है, जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि हिमुडा मुख्यालय की सम्बन्धित शाखा द्वारा तैयार सावधिक रजिस्टर उचित प्रकार से नहीं बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शडयूल में अंकित की गई प्रविष्टियों का पूर्ण मिलान सावधिक रजिस्टर से नहीं किया जा सका। अंकेक्षण द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिलेख को उचित प्रकार से (जैसे सावधि निवेष से लेकर परिपक्वता तिथि तक का उल्लेख स्वतः स्पष्ट हो) तैयार न किए जाने बारे पूर्व वर्षों में भी सुझाव दिए जाते रहे हैं परन्तु हिमुडा द्वारा सुधार एवं लेखांकन हेतु कोई भी पग नहीं उठाये गए प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा बार–बार अनुरोध किया गया था कि सावधि शडयूल में दर्षाये गए प्रत्येक सावधि निवेष की पुष्टि बैंक के प्रमाण पत्र से करवाई जाए परन्तु इस बारे अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अंकेक्षण का पुनः अनुरोध है कि पूर्व अवधि से वर्तमान तक की समस्त सावधि निवेषों का स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार किया जाए ताकि लेखों में दर्षाये जा रहे शेष की पुष्टि की जानी सम्भव हो सके। साथ ही सम्बन्धित बैंकों से अन्तिम शेष का प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित करें।

46 वार्षिक लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि लाभ–हानि लेखाओं में लीव इनकैषमैंट लेखा को ₹2.25 करोड़ व पैंषन कंट्रीब्यूषन लेखा को ₹4,52,94,698.00 की राषि का व्यय दर्षाया गया। इस व्यय के बारे में यह बताया गया कि लीव इनकैषमैंट की राषि एच0डी0एफ0सी0 स्टैण्डर्ड लाईफ को तथा पैंषन कन्ट्रीब्यूषन की राषि एल0आई0सी0 ऑफ इण्डिया को भुगतान की गई थी परन्तु यह भुगतान किन शर्तों/प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया का विवरण न तो अंकेक्षण में दिया गया और न ही हिमुडा द्वारा अनुबन्धित उक्त स्कीमों के अभिलेखों को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जिस कारण इन भुगतानों की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। उपरोक्त वर्णित स्कीमों के अभिलेख को अंकेक्षणार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि किए गए भुगतानों की पुष्टि की जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि हिमुडा द्वारा पैंषन ग्रेच्यूटी व लीव इनकैषमैंट के संचालन हेतु विभिन्न एजैन्सियो को अनुबन्धित किया गया है जिसके लिए पुर्व वर्षों व वर्तमान वर्ष में करोड़ों रुपयों का भुगतान किया जा रहा है परन्तु इन स्कीमों हेतु समय–समय पर किए गए भुगतानों का तुलन पत्र में कोई भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है केवल लाभ हानि खाता में ही व्यय दर्षाया जा रहा है। तुलन पत्र में हिमुडा द्वारा संचालित स्कीमों को संकलित न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

47 <u>fofo/k vfxze y{[kk 'kh"kZd dk vUrxZr n'kkbZ xbZ jkf'k dk iq.kZ fooj.k u nsuk</u> %&

मुख्यालय के Revenue Ledger की पड़ताल करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 189 पर वर्णित ''विविध अग्रिम'' लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ₹4,62,733/–(डैबिट) में दर्षाये गए है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

Ø0 l0	Yk[kk 'kh"kd	[kkrk cgh i0l0	jkf'k
1	विविध अग्रिम	189	₹4,11,145.51 (Dr)
2	विविध अग्रिम श्री उमेष कुमार ऐ0ई0	189	₹50,000.00 (Dr)
3	विविध अग्रिम रीकवरी एकाऊंट	189	₹1,588.00 (Dr)
		dy ;kx	₹4]62]733-51

उपरोक्त खाता बही पृष्ठ संख्याः 189 पर यह राषि पिछले वर्ष 2008–09 से आगे लाई गई, दर्षाई गई है इन अग्रिमों के सम्बन्ध में स्वस्पष्ट स्थिति विवरण नहीं बनाया गया था जिससे इन अग्रिम राषियों की वास्तविक अदायगी तिथि एंव प्रयोजनों की पड़ताल नहीं की जा सकी यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी, तथापि अधिकारियें द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अग्रिमों के सम्बन्ध में स्वस्पष्ट विवरण न बनाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है । अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि विविध अग्रिमों को समायोजन हेतु शीघ्र ठोस कार्यवाही की जाए। भविष्य में विविध अग्रिमों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए, अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

48 y?k vkifr foojf.kdk%&

यह अलग से जारी नहीं की गई है। लधु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण द्वारा लेखा–परीक्षा के दौरान कर लिया गया।

49 fu"d"k%& लेखों में अधिक सुधार की आवष्यकता है गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पड़े पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवष्यक प्रभावषाली कदम उठाए जाऐं।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

i"Bkdu l[;k%& फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)122/88–खण्ड–10 दिनांक, षिमला–09

1. प्रधान सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार षिमला–2
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, षिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuli d|ekj ?kk:½